



छत्तीसगढ़ शासन

वित्त विभाग

वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2021-22

छत्तीसगढ़ शासन

वित्त विभाग

प्रस्तावना

विभाग द्वारा वर्ष 2021-22 का विभागीय वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है । इस प्रतिवेदन में वित्त विभाग के अंतर्गत आने वाले विभागाध्यक्ष कार्यालयों की गतिविधियों एवं उनके द्वारा संचालित कार्यक्रमों की जानकारी संकलित की गई है ।

(अलरमेलमंगई डी.)

सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

वित्त विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग

1. विभाग का नाम : वित्त विभाग
2. प्रभारी मंत्री का नाम : श्री भूपेश बघेल

मंत्रालय में पदस्थ अधिकारीगण

- सचिव : श्रीमती अलरमेलमंगई डी.
विशेष सचिव सह संचालक बजट : श्रीमती शारदा वर्मा
विशेष सचिव : श्रीमती शीतल शाश्वत वर्मा
संयुक्त सचिव : 1. श्री अतीश पाण्डेय
: 2. श्री राजेश कुमार सिसोदिया
उप सचिव : 1. श्रीमती प्रेमागुलाब एक्का
: 2. श्रीमती पूजा शुक्ला मिश्रा
: 3. श्री ऋषभ पाराशर
: 4. श्री सीताराम तिवारी
अवर सचिव : 1. श्री इन्द्रप्रकाश रात्रे
: 2. श्री शरद परसाई
: 3. श्री कृष्णकांत खरान्शु
: 4. श्रीमती शांता खरे
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी : 1. श्री चन्द्र प्रकाश पाण्डेय
: 2. श्री निखिल कुमार अग्रवाल
: 3. श्री धर्मेन्द्र पटेल
: 4. श्री लोकेन्द्र कुमार साहू
शोध अधिकारी : सुश्री हिमशिखा साहू

विभागाध्यक्ष

1. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन : श्री नीलकंठ टीकाम
2. संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा : श्री अनुराग पाण्डेय
3. संचालक, संस्थागत वित्त : श्रीमती शीतल शाश्वत वर्मा
4. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली : श्रीमती शारदा वर्मा

विषय-सूची

क्र.	अध्याय	शीर्षक	पृष्ठ संख्या
1.	प्रशासकीय विभाग	वित्त विभाग	1 से 8 तक
2.	विभागाध्यक्ष	1. संचालनालय, कोष लेखा एवं पेंशन 2. संचालनालय, छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा 3. संचालनालय, संस्थागत वित्त 4. संचालनालय, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली	9 से 19 तक 20 से 31 तक 32 से 36 तक 37 से 38 तक

**छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन,
नवा रायपुर अटल नगर**

वित्त विभाग की भूमिका तथा संरचना

1.1 विभागीय भूमिका :- छत्तीसगढ़ कार्यपालक शासन के कार्य नियम तथा उन नियमों के अधीन जारी किए गए निर्देशों/अनुदेशों के अंतर्गत वित्त विभाग के कार्य को नियम 11 एवं 26 से 33 तक के अंतर्गत परिभाषित किया गया है, जिसका उद्धरण इस प्रकार है :-

नियम 11 (एक) कोई भी विभाग, वित्त विभाग से पूर्व परामर्श किये बिना, ऐसे किन्हीं भी आदेशों को (वित्त विभाग द्वारा किये गये किसी सामान्य प्रत्यायोजन के अनुसरण में दिये गये आदेशों को छोड़कर) प्राधिकृत नहीं करेगा, जो या तो तत्काल या अपने प्रतिप्रभावों द्वारा राज्य की वित्त व्यवस्था को प्रभावित करते हो या जो, विशिष्ट रूप से या तो -

- (क) पदों की संख्या या श्रेणी निर्धारण या संवर्गों से या पदों की उपलब्धियों या अन्य सेवा-शर्तों से संबंधित हों, या
- (ख) जिनमें किसी भूमि का अनुदान या राजस्व का समनुदेशन या खनिज या वन अधिकारों के संबंध में रियायत, मंजूरी, पट्टा या अनुज्ञप्ति या जल, विद्युत या किसी सुखाचार के संबंध में कोई अधिकार या ऐसी रियायत के संबंध में विशेषाधिकार अन्तर्वलित हों, या
- (ग) जिनमें किसी भी रूप में राजस्व का कोई त्याग अन्तर्वलित हो,
- (घ) सरकार द्वारा कोई गारन्टी दिये जाने संबंधी हो,

(दो) किसी भी प्रस्ताव पर, जिस पर इस नियम के उप-नियम (एक) के अधीन वित्त विभाग से पूर्व परामर्श करना अपेक्षित हो, किन्तु जिस पर वित्त विभाग ने सहमति नहीं दी हो, तब तक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी, जब तक परिषद् द्वारा उस प्रभाव का निर्णय न ले लिया गया हो।

(तीन) कोई भी पुनर्विनियोग वित्त विभाग से भिन्न किसी भी विभाग द्वारा ऐसे सामान्य प्रत्यायोजनों के अनुसार ही किया जावेगा, जो कि (प्रत्यायोजन) वित्त विभाग द्वारा किये गये हों, अन्यथा नहीं।

(चार) उस सीमा के सिवाय जिस सीमा तक कि वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित किये गये नियमों के अधीन विभागों को कोई शक्ति प्रत्यायोजित की गई हो, किसी भी प्रशासकीय विभाग का प्रत्येक आदेश, जिसमें कि लेखा परीक्षा में प्राधिकारियों को वित्त विभाग द्वारा संसूचित किया जाना चाहिये।

(पांच) इस नियम की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं होगा कि वह वित्त विभाग सहित किसी विभाग को, विनियोग अधिनियम में निविर्दिष्ट किसी एक अनुदान से ऐसे दूसरे अनुदान में पुनर्विनियोजन करने के लिये प्राधिकृत करती है.

नियम -26 वित्त विभाग विशेष रूप से निम्नलिखित कार्यों का प्रभारी रहेगा :-

(एक) वह, शासन द्वारा मंजूर किये गये ऋणों से संबंधित लेखे का प्रभारी होगा और ऐसे ऋणों से संबंधित समस्त संव्यवहारों के वित्तीय पहलुओं पर सलाह देगा.

(दो) वह, अकाल सहायता निधि की सुरक्षा तथा उसके समुचित उपयोग के लिये तथा भविष्य निधि के प्रशासन के लिये उत्तरदायी होगा.

(तीन) वह, करो, शुल्कों, उपकरणों या फीस के अधिरोपण, वृद्धि, कमी या समाप्ति के समस्त प्रस्तावों का परीक्षण करेगा तथा उन पर प्रतिवेदन देगा.

(चार) वह, राज्य द्वारा गारंटी लेने या देने के समस्त प्रस्तावों का परीक्षण करेगा तथा प्रतिवेदन देगा, ऐसे ऋण लेगा, जो सम्यक् रूप से प्राधिकृत किये गये हों, और वह, ऋणों के व्यय (सर्विस ऑफ दी लोन्स) या गारंटी उन्मोचन संबंधी समस्त मामलों का प्रभारी होगा.

(पांच) वह, यह देखने के लिए उत्तरदायी होगा कि अन्य विभागों के मार्गदर्शन के लिये समुचित वित्तीय नियम बनाए जाते हैं और यह कि अन्य विभागों तथा उनके अधीनस्थ स्थापनाओं द्वारा उपयुक्त लेखे रखे जाते हैं.

(छः) वह, प्रतिवर्ष राज्य की कुल प्राप्ति तथा संवितरण का अनुमान तैयार करेगा तथा वर्ष के दौरान शासन के शेषों की स्थिति पर नजर रखने के लिये उत्तरदायी होगा.

(सात) वह, बजट तथा अनुपूरक अनुमानों के संबंध में -

(क) वह, प्रतिवर्ष विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के लिए अनुमानित प्राप्तियों तथा व्ययों का एक विवरण तैयार करेगा और विधान मण्डल के मत के लिये प्रस्तुत किए जाने वाले अतिरिक्त अनुदानों के लिए कोई भी अनुपूरक अनुमानों या मांगों को तैयार करेगा,

(ख) इस प्रकार तैयार किए जाने के प्रयोजन के लिए वह संबंधित विभागों से ऐसी सामग्री जिस पर उसके अनुमान आधारित होंगे, प्राप्त करेगा तथा वह इस प्रकार दी गई सामग्री पर बनाये गये अनुमानों की शुद्धता के लिये उत्तरदायी होगी,

“परन्तु यह कि योजना व्यय के प्राक्कलन तैयार करते समय योजना विभाग से परामर्श किया जायेगा और ये प्राक्कलन यथा संभव उस विभाग द्वारा सुझाए गए आबंटन के अनुसार होंगे, यदि इसमें कोई परिवर्तन हो तो उन्हें, योजना विभाग की टिप्पणी, यदि कोई हो, के साथ विशिष्ट रूप से परिषद् के ध्यान में लाया जायेगा।”

(ग) वह, नये व्यय की समस्त योजनाओं के संबंध में, जिनके लिए अनुमानों में व्यवस्था करने का प्रस्ताव किया गया हो, परीक्षण करेगा तथा परामर्श देगा और ऐसी किसी भी योजना के लिये, जिसका इस तरह परीक्षण नहीं किया गया हो, अनुमानों में व्यवस्था करने से इन्कार करेगा,

(घ) वह, विधानमण्डल द्वारा किए गए अनुदानों की पूर्ति के लिये अपेक्षित, सभी रकमों का राज्य संचित निधि से विनियोग तथा सदन के समक्ष तथा प्रस्तुत संचित निधि पर प्रभारित व्यय की व्यवस्था करने संबंधी विधेयक के पुरःस्थापन की कार्यवाही करेगा,

(आठ) वह, लेखा परीक्षा अधिकारी से इस आशय का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, कि पर्यान्त मंजूरी के अभाव में व्यय किया जा रहा है, संबंधित विभाग से मंजूरी प्राप्त करने के लिये या आगे व्यय नहीं करने के लिये अपेक्षा करेगा.

(नौ) वह, कार्यकारी पक्ष में विनियोग लेखाओं तथा लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन पर कार्यवाही करेगा तथा अन्य विभागों को आवश्यक निर्देश देगा.

(दस) वह, राजस्व के संग्रहण के लिए उत्तरदायी विभागों को संग्रहण की प्रगति तथा पद्धतियों के संबंध में सलाह देगा.

नियम -27 ऐसे किसी पुनर्विनियोग को, जिसके लिए वित्त विभाग की मंजूरी की आवश्यकता नहीं, मंजूर करने वाले किसी भी विभाग द्वारा पारित समस्त आदेशों की प्रतियां, आदेशों के पारित होते ही, उक्त विभाग को भेजी जाएगी.

नियम -28 विशेष रूप से तथा अन्य विषयों के साथ-साथ निम्नलिखित विषय राज्य की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले विषय समझे जायेंगे -

- (क) व्यय के लिये विनियोजित किए जाने के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत रकम से अधिक व्यय करना
- (ख) लोक-धन से या भविष्य निधि के निक्षेप से किसी शासकीय कर्मचारी को अग्रिम मंजूर करना

- (ग) किराया—मुक्त रियायत मंजूर करना
- (घ) विभाग द्वारा निवृत्ति वेतन या अनुकम्पा भत्ते मंजूर करना
- (ङ.) वित्त विभाग द्वारा या उसकी सहमति से बनाये गये किसी नियम को शिथिल करना
- (च) किसी व्यय को राज्य की संचित निधि पर प्रभावित व्यय के रूप में घोषित करने के लिये या किसी ऐसे व्यय की रकम में वृद्धि करने के लिए प्रस्ताव
- (छ) शासन के ऋणी स्थानीय निकायों के बजट की पुष्टि करने संबंधी मामले
- (ज) भू—राजस्व के निलम्बन या परिहार को विनियमित करने वाले नियमों का कोई भी उपांतरण
- (झ) विषय से संबंधित नियमों के अनुसार न होकर अन्यथा भू—राजस्व के निलम्बन या परिहार के लिये प्रस्ताव
- (त्र) उद्योग को राज्य सहायता या तकाबी अग्रिमों की मंजूरी को विनियमित करने वाले अधिनियमों या नियमों में कोई भी सारभूत उपांतरण
- (ट) कर—निर्धारण प्रणालियों में यह विद्यमान कराधान, भू—राजस्व या सिंचाई देयों के उच्चतम परिमाण (पिच) में कोई सारभूत परिवर्तन करने संबंधी प्रस्ताव

नियम —29 कार्य नियम 11 द्वारा विहित परामर्श के दौरान वित्त विभाग द्वारा संसूचित किये गये उसके मत, उस विभाग के, जिसका कि वह मामला हो, अभिलेख में दर्ज किए जायेंगे और वे उस मामले के अभिलेख के भाग होंगे.

नियम —30 (1) वित्त विभाग का भारसाधक मंत्री उस मामले के संबंध में, जिसमें कार्य नियम 11 (एक) या (तीन) में उल्लिखित कोई विषय अन्तर्वलित हो, कोई भी कागज—पत्र मंगवा सकेगा और वह मंत्री, जिससे ऐसी मांग की गई हो, कागज —पत्रों को भेजेगा।

(2) उप पैराग्राफ (1) के अधीन मांगे गए कागज—पत्रों की प्राप्ति पर वित्त विभाग का भारसाधक मंत्री यह निवेदन कर सकेगा कि उक्त कागज—पत्र, उन पर उसकी टिप्पणी सहित, परिषद् को प्रस्तुत किए जाएंगे.

नियम —31 (1) वित्त विभाग का भारसाधक मंत्री किसी भी अन्य विभाग से ऐसी कोई भी जानकारी या विवरणी मंगवा सकेगा, जिसे वह वित्त विभाग उसके उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के लिये समर्थ बनाने हेतु आवश्यक समझे.

(2) वित्त विभाग का भार साधक मंत्री, समस्त विभागों में सामान्य रूप से वित्तीय प्रक्रिया को शासित करने के लिये तथा वित्त विभाग के कार्य को और अन्य विभागों का वित्त विभाग के साथ संव्यवहार को विनियमित करने के लिये नियम उस सीमा तक बना सकेगा जहां तक कि ऐसे नियम वित्त विभाग को किसी भी अधिनियम या उचित प्राधिकार के अधीन बनाये गये किन्हीं भी नियमों द्वारा उसको सौंपे गए

कर्तव्यों के निर्वहन के लिये समर्थ बनने के लिए अपेक्षित हों और अन्य विभागों के भारसाधक मंत्री यह देखने के लिए उत्तरदायी होंगे कि उनके विभागों में इन नियमों का पालन किया जा रहा है।

नियम –32 ऐसे किसी प्रस्ताव की छानबीन करते समय, जिस पर कार्य नियम, 11 या किसी सहायक नियम के अधीन वित्त विभाग से परामर्श किया गया हो, उस विभाग का ऐसी स्थिति में यह बताना कर्तव्यरथ होगा जबकि प्रस्ताव में किसी वित्तीय सिद्धांत का या वित्तीय औचित्य के निम्नलिखित प्रनियमों में से किसी भी प्रनियम का उलंघन अन्तर्वलित हो –

- (एक) प्रत्येक लोक अधिकारी को शासकीय धन से किये जाने वाले व्यय पर वैसी ही सतर्कता बरतनी चाहिए, जैसी सतर्कता एक सामान्य विवेकशील व्यक्ति अपना स्वयं का धन व्यय करने में बरतता है।
- (दो) कोई भी प्राधिकारी व्यय मंजूर करने की अपनी शक्ति का प्रयोग ऐसा आदेश पारित करने के लिये नहीं करेगा, जिसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभ उसे प्राप्त होता हो।
- (तीन) शासकीय धन का उपयोग किसी विशिष्ट व्यक्ति या समुदाय के किसी वर्ग के फायदे के लिये तक नहीं किया जाना चाहिये, जब तक कि –
 - (1) अन्तर्वलित व्यय की रकम नगण्य न हो, या
 - (2) रकम का दावा किसी न्यायालय में प्रवर्तित न किया जा सकता हो, या
 - (3) व्यय मान्य नीति या परम्परा के अनुसरण में न हो।
- (चार) भत्तों की रकम, जैसे यात्रा भत्ते, जो कि किसी विशिष्ट प्रकार के व्यय के पूरा करने के लिये मंजूर की गई हो, इस प्रकार विनियमित की जाय कि भत्ते कुल मिलाकर प्राप्ति कर्ता के लाभ के साधन न हो जायं।

नियम –32–क अनुपूरक अनुदेश क्रमांक 32 के अधीन वित्त विभाग को परामर्श के लिये भेजे गए प्रत्येक मामले में वह विभाग अधिकतम पन्द्रह दिन की कालावधि के भीतर अपने मत के साथ उसे विभाग को लौटाएगा। यदि इस समयावधि में मामला वापिस करना संभव न हो तो वित्त विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव, मामले में संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव से चर्चा कर मामले के शीघ्र निपटारे को सुनिश्चित करेंगे।

नियम –33 वित्त विभाग को यह विनिश्चित करने की शक्ति होगी कि विशिष्ट विभागों में व्यय की लेखा-परीक्षा को प्राप्तियों की लेखा –परीक्षा द्वारा किस सीमा तक सहायता पहुंचाई जाए।

टिप्पणी – वित्त विभाग द्वारा कार्य नियम के अधीन किए गए प्रत्यायोजन तथा बनाए गए नियम वित्त विभाग द्वारा पृथक रूप से जारी किए गए हैं।


1.2 संरचना :-

बजट कार्य के लिए विभाग में 5 बजट शाखाएं (संसाधन शाखा सहित) हैं, इन बजट शाखाओं के मध्य विभागावार बजट बनाने का कार्य आंबटित है। इनके अतिरिक्त एक प्रशासकीय शाखा, एक नियम शाखा तथा एक आर्थिक नीति एवं विश्लेषण इकाई है। प्रशासकीय (स्थापना) शाखा में वित्त विभाग के विभागाध्यक्षों के स्थापना एवं प्रशासकीय कार्य संपादित किया जाता है। नियम शाखा में वित्त विभाग के नियमों/अधिनियमों से संबंधित विषयों को देखा जाता है और उनके संबंध में विभिन्न विभागों को आवश्यक मत/परामर्श दिया जाता है, तथा पेंशन कल्याण संबंधी कार्य देखा जाता है। राज्य संसाधन शाखा में शासन के ऋणों का संधारण, पुर्नभुगतान एवं प्रबंधन संबंधी कार्य संपादित किया जाता है। वित्त आयोग (केन्द्रीय एवं राज्य) प्रकोष्ठ द्वारा केन्द्रीय वित्त आयोग को वांछित जानकारी तैयार कर प्रेषित करने, राज्य की ओर से प्रस्तुत किये जाने वाले ज्ञापन (मेमोरेण्डम) तैयार करने एवं अनुशंसाओं को लागू करने संबंधी अनुसंगिक कार्यवाही संपादित की जाती है।

1.3 वित्त विभाग का दायित्व एवं कार्य :-

विभिन्न जनकल्याणकारी कार्यक्रमों के संचालन सहित सभी कमिटेड खर्चों की पूर्ति हेतु वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था करना विभाग का दायित्व है। इसकी पूर्ति हेतु विभाग द्वारा किये जाने वाले कार्य :-

- (1) लोक -कल्याणकारी योजनाओं एवं कमिटेड खर्चों हेतु आय एवं व्यय का वार्षिक बजट तैयार करना
- (2) बजट संसाधनों में दर्शित लोक ऋणों की प्राप्ति, उनके भुगतान एवं राज्य के उपलब्ध संसाधनों के मदेनजर लोक ऋणों का समुचित प्रबंधन
- (3) अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों की वृद्धि हेतु समुचित प्रयास
- (4) विधानसभा से बजट पारण एवं सर्वसंबंधित विभागों को व्यय हेतु बजट आबंटन जारी करना
- (5) शासकीय राशि का मितव्ययितापूर्ण एवं गुणवत्तापरक व्यय सुनिश्चित करने हेतु दिशा-निर्देश जारी करना
- (6) राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियम का पालन सुनिश्चित करना
- (7) राज्य वित्त आयोग का गठन एवं उसकी अनुशंसाओं को लागू करना
- (8) केन्द्रीय वित्त आयोग के समक्ष राज्य की ओर से केन्द्रीय राजस्व के बंटवारे एवं राज्य की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आवश्यक धनराशि के लिए मेमोरेण्डम प्रस्तुत करना
- (9) राज्य में वित्तीय समावेशन के अंतर्गत ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाओं का विस्तार
- (10) छत्तीसगढ़ राज्य के निवेशकों के हितों की सुरक्षा हेतु छत्तीसगढ़ निक्षेपकों के हितों का संरक्षण से संबंधित आवश्यक कार्यवाही।
- (11) संचालक, "छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा" द्वारा प्रस्तुत स्थानीय निकायों के वार्षिक प्रतिवेदन को विधानसभा के पटल पर प्रस्तुत करना।



वित्त विभाग के अधीनस्थ विभागाध्यक्ष कार्यालय

1. संचालनालय, कोष लेखा एवं पेंशन
2. संचालनालय, "छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा"
3. संचालनालय, संस्थागत वित्त
4. संचालनालय, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली

संचालनालय, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
इन्द्रावती भवन, ब्लॉक-एक, प्रथम तल, नवा रायपुर अटल नगर

भाग-एक – सामान्य जानकारी

संचालनालय कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़ की स्थापना दिनांक 01.11.2000 को राज्य पुर्नगठन के फलस्वरूप हुई है। विभाग की मुख्य गतिविधियों में राजकोष प्रशासकीय नियंत्रण, पेंशन तथा वेतन निर्धारण, लेखा प्रशिक्षण, कोष निरीक्षण, आंतरिक लेखा परीक्षण, राज्य वित्त सेवा, अधीनस्थ लेखा सेवा तथा अन्य राज्य स्तरीय सेवाओं के संवर्ग नियंत्रक का कार्य तथा अंशदायी पेंशन योजना हेतु नोडल एजेन्सी के रूप में किये जाने वाले सभी कार्य शामिल हैं।

1.1 अधीनस्थ कार्यालय :-

संचालनालय कोष, लेखा एवं पेंशन के अधीनस्थ आडिट प्रकोष्ठ, 05 संभागीय कार्यालय 29 कोषालय, 40 उपकोषालय तथा 02 लेखा प्रशिक्षण शालायें हैं।

1.2 स्वीकृत सेटअप :-

संचालनालय, कोष, लेखा एवं पेंशन, आडिट प्रकोष्ठ एवं अधीनस्थ कार्यालयों के लिये वित्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्वीकृत सेटअप निम्नानुसार है :-

क्र.	पदनाम	सातवां वेतनमान में लेवल	श्रेणी	स्वीकृत पद
01.	आयुक्त/संचालक	भारतीय प्रशासनिक सेवा का वेतनमान	प्रथम श्रेणी	01
02.	वित्त नियंत्रक	लेवल - 16	प्रथम श्रेणी	01
03.	अपर संचालक	लेवल - 15	प्रथम श्रेणी	02
04.	संयुक्त संचालक	लेवल - 14	प्रथम श्रेणी	08
05.	उप संचालक	लेवल - 13	प्रथम श्रेणी	27
06.	सिस्टम एनालिस्ट	लेवल - 13	प्रथम श्रेणी	01
07.	सहायक संचालक/कोषालय अधिकारी/ अति.कोषालय अधिकारी/प्राचार्य लेखा प्रशिक्षण शाला	लेवल - 12	द्वितीय श्रेणी	34
08.	प्रोग्रामर	लेवल - 12	द्वितीय श्रेणी	04
09.	सहायक प्रोग्रामर	लेवल - 09	तृतीय श्रेणी	32
10.	सहायक कोषालय अधिकारी/उप कोषालय अधिकारी/सहायक आंतरिक लेखा परीक्षण अधिकारी	लेवल - 09	तृतीय श्रेणी	516
11.	शीघ्रलेखक ग्रेड-1	लेवल - 11	तृतीय श्रेणी	01
12.	शीघ्रलेखक ग्रेड-2	लेवल - 09	तृतीय श्रेणी	02
13.	शीघ्रलेखक ग्रेड-3	लेवल - 07	तृतीय श्रेणी	07
14.	सहायक ग्रेड-1	लेवल - 07	तृतीय श्रेणी	94
15.	सहायक ग्रेड-2	लेवल - 06	तृतीय श्रेणी	238
16.	सहायक ग्रेड-3	लेवल - 04	तृतीय श्रेणी	301
17.	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	लेवल - 06	तृतीय श्रेणी	40
18.	वाहन चालक	लेवल - 04	तृतीय श्रेणी	14
19.	दफ्तरी	लेवल - 02	चतुर्थ श्रेणी	34

20.	भृत्य	लेवल - 01	चतुर्थ श्रेणी	159
21.	चौकीदार	कलेक्टर दर		09
22.	वाटरमैन	कलेक्टर दर		34
23.	स्वीपर / फर्शाश	कलेक्टर दर		38
योग				1590

ऑडिट प्रकोष्ठ

क्र.	पदनाम	सातवां वेतनमान में लेवल	श्रेणी	स्वीकृत पद
1	अपर संचालक	लेवल - 15	प्रथम श्रेणी	01
2	संयुक्त संचालक	लेवल - 14	प्रथम श्रेणी	03
3	उप संचालक	लेवल - 13	प्रथम श्रेणी	01
4	सहायक संचालक	लेवल - 12	द्वितीय श्रेणी	08
5	सहायक आंतरिक लेखा परीक्षण अधिकारी	लेवल - 09	तृतीय श्रेणी	16
6	शीघ्रलेखक ग्रेड-3	लेवल - 07	तृतीय श्रेणी	02
7	सहायक ग्रेड-2	लेवल - 06	तृतीय श्रेणी	04
8	सहायक ग्रेड-3	लेवल - 04	तृतीय श्रेणी	08
9	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	लेवल - 06	तृतीय श्रेणी	08
10	वाहन चालक	लेवल - 04	तृतीय श्रेणी	04
11	भृत्य	लेवल - 01	चतुर्थ श्रेणी	05
योग				60

1.3 मुख्य कर्तव्य:-

1.3.1 कोष प्रचालन :- छत्तीसगढ़ राज्य के 05 संभागीय संयुक्त संचालकों, 02 लेखा प्रशिक्षण शालायें, 28 जिला कोषालयों एवं 01 इन्द्रावती कोषालय अटल नगर रायपुर तथा 39 उपकोषालयों का प्रशासकीय नियंत्रण संचालनालय कोष, लेखा एवं पेंशन द्वारा किया जाता है। नवीन कोषालयों की स्थापना तथा छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता के अनुसार कोषालयों के संचालन का दायित्व संचालनालय कोष, लेखा एवं पेंशन का है।

1.3.2 कोष निरीक्षण :- राज्य के सभी कोषालय तथा उपकोषालयों का छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता में दिये गये प्रावधानों के अनुसार निरीक्षण का दायित्व संचालनालय कोष, लेखा एवं पेंशन का है।

1.3.3 पेंशन व वेतन निर्धारण :- राज्य के सभी शासकीय सेवकों के वेतन निर्धारण की जांच तथा पेंशन प्रकरणों के निराकरण का दायित्व संचालनालय कोष, लेखा एवं पेंशन का है।

1.3.4 संवर्ग प्रबंधन :- राज्य वित्त सेवा तथा अधीनस्थ लेखा सेवा का संवर्ग प्रबंधन विभागाध्यक्ष कार्यालय द्वारा किया जाता है। प्रोग्रामर, सहायक प्रोग्रामर, कोषालयीन लिपिकीय सेवा वर्ग-1 एवं अधीनस्थ लेखा सेवा संवर्ग की सेवायें राज्य स्तरीय सेवायें हैं जिनका संवर्ग प्रबंधन भी विभागाध्यक्ष कार्यालय द्वारा किया जाता है।

1.3.5 लेखा प्रशिक्षण :-राज्य के तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को लेखाओं से संबंधित प्रशिक्षण देने हेतु 02 लेखा प्रशिक्षण शाला राज्य में स्थापित है। राज्य के समस्त तृतीय वर्ग के कर्मचारियों के लेखा प्रशिक्षण के दायित्व का निर्वहन भी संचालनालय कोष, लेखा एवं पेंशन द्वारा किया जाता है।

1.3.6 अंशदायी पेंशन योजना :- छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 01.11.2004 के पश्चात नव नियुक्त कर्मचारियों हेतु अंशदायी पेंशन योजना प्रारंभ की गई है, इस योजना में 30.11.2021 तक कुल 2,93,230 अधिकारी/कर्मचारी शामिल है।

1.3.7 ऑडिट प्रकोष्ठ :- आंतरिक लेखा परीक्षण कार्य को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए संचालनालय, कोष, लेखा एवं पेंशन के अधीन एक पृथक आंतरिक लेखा परीक्षण (ऑडिट प्रकोष्ठ) का गठन किया गया है।

1.4 उपलब्धियां :-

1.4.1 पेंशन तथा वेतन निर्धारण :-

छत्तीसगढ़ राज्य अंतर्गत नवम्बर 2021 तक की स्थिति में निम्नानुसार प्रकरणों का निराकरण किया गया :-

- | | | | |
|----|----------------------------------|---|----------|
| 1 | पेंशन प्रकरणों की संख्या | - | 1,20,606 |
| 2. | वेतन निर्धारण प्रकरणों की संख्या | - | 2,24,607 |

पेंशन से संबंधित जानकारी एवं अन्य सुविधाएं प्रदाय करने हेतु आनलाईन पेंशन मैनेजमेंट सिस्टम "आभार आपकी सेवाओ का" वित्त निर्देश 28/2018 द्वारा मई 2018 से लागू किया गया है जो <https://cgpension.nic.in/> पर उपलब्ध है। छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के निर्देश क्र. 24/2007 के द्वारा 01.01.1996 के पूर्व के पेंशनरों एवं परिवार पेंशनरों के पेंशन/परिवार पेंशन के पुनरीक्षण के निर्देश प्रसारित किये गये इसके तारतम्य में पेंशन पुनरीक्षण का कार्य किया गया एवं वित्त निर्देश 52/2017 द्वारा 01.01.2016 के पश्चात् सेवा निवृत्त/दिवंगत शासकीय सेवकों के पेंशन/परिवार पेंशन के पुनरीक्षण का कार्य प्रगति पर है साथ ही प्राधिकृत नये पेंशन प्रकरणों में नियमित भुगतान प्रारंभ होने के स्थिति की समीक्षा प्रत्येक माह किया जा रहा है।

पेंशन प्रकरणों का निराकरण समय पर हो इसके लिये आगामी दो वर्ष में सेवा निवृत्त होने वाले समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन निर्धारण की जांच अनिवार्य की गई है ताकि पेंशन प्रकरणों का निराकरण समय पर हो एवं अधिक भुगतान की स्थिति निर्मित होने पर उसकी वसूली भी सुनिश्चित किया जा सके।

1.4.2 पेंशनर कल्याण कोष :-

राज्य के पेंशनरों की समस्याओं के निराकरण के लिये राज्य शासन को उपाय सुझाने के उद्देश्य से मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन के अध्यक्षता में पेंशन कल्याण मंडल पुनर्गठित है मंडल में विभिन्न पेंशनर संघों के 05 प्रतिनिधि अशासकीय सदस्यों के रूप में नामांकित है।

राज्य गठन के पश्चात् पेंशनरों एवं उसके परिवारों के सदस्यों को गंभीर बीमारी, दुर्घटना ग्रस्त होने की स्थिति में एवं श्रवण यंत्र, दंत व चश्मा के प्रकरणों पर वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये पेंशनर कल्याण कोष संचालित है। पेंशन कल्याण कोष में कुल प्राप्त राशि रु. 91,10,000/- में से नवम्बर 2021 तक 658 पेंशनरों को वित्तीय सहायता के रूप में राशि रु 78,21,625/- स्वीकृत किया गया है।

1.4.3 अंशदायी पेंशन योजना

01. दिनांक 01.11.2004 अथवा इसके पश्चात् राज्य शासन की पेंशन योग्य स्थापना में नियुक्त शासकीय सेवकों के लिए एक नई परिभाषित "अंशदान आधारित पेंशन योजना" लागू है। मूल वेतन तथा मंहगाई

भत्ते के 10 प्रतिशत की राशि अनिवार्य रूप से कटौती कर तथा इसके समतुल्य शासन द्वारा नियोक्ता अंशदान जमा किया जा रहा है । वित्त निर्देश 1/2022 के अनुसार दिनांक 01.04.2022 से नियोक्ता का अंशदान 14 प्रतिशत दिया जाएगा। 01 अप्रैल 2019 से अखिल भारतीय सेवा एवं अन्य केन्द्रीय शासकीय सेवकों हेतु शासन द्वारा नियोक्ता अंशदान 14 प्रतिशत दिया जा रहा है। इस योजना में 30.11.2021 तक कुल 2,93,230 अधिकारी/कर्मचारी शामिल हैं।

02. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में पंजीकरण हेतु 01 सितंबर 2019 से Server to Server Integration के माध्यम से ऑनलाईन PRAN(Permanent Retirement Account Number) आबंटन की कार्यवाही किया जा रहा है। अभिदाता कार्मिक संपदा हेतु निर्धारित आवेदन डी.डी.ओ. के माध्यम से जिला कोषालय अधिकारी को प्रस्तुत करता है जिसके आधार पर जिला कोषालय से ऑनलाईन PRAN आबंटित किया जाता है। Server to Server Integration के माध्यम PRAN होने से PRAN एवं एम्पलाई आई.डी. साथ ही ई-कोष साफ्टवेयर में सीधे अपडेट हो जाता है। PRAN के किसी विवरण में संशोधन/परिवर्तन की आवश्यकता हो तो Annexure-S2 फार्म में जानकारी भर कर संबंधित जिला कोषालय को प्रस्तुत किया जा सकता है ।

03. एन.पी.एस. खाते का प्रकार – अ. टियर-1 गैर-निकासी योग्य खाते में सेवानिवृत्ति के लिए अपनी बचत का योगदान देगा । **ब.** टियर-2 स्वैच्छिक बचत सुविधा, अभिदाता जब भी चाहे इस खाते से अपनी बचत वापस लेने के लिए स्वतंत्र होगा ।

04. PRAN खाते में अंशदान जमा की प्रक्रिया – वेतन से कटौती किये गये अभिदाता के अंशदान को लोक लेखा शीर्ष 8342 एवं उसके समतुल्य नियोक्ता अंशदान मुख्य शीर्ष 2071 से आहरित कर ट्रस्टी बैंक को स्थानांतरित किया जाता है। बाह्य सेवा में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ शासकीय सेवक एवं नियोक्ता का अंशदान चालान के माध्यम से लोक लेखा शीर्ष 8342 में जमा किया जाता है तथा इस शीर्ष से अंशदान को आहरित कर ट्रस्टी बैंक को स्थानांतरित किया जाता है।

05. हितधारी – राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से संबंधित हितधारी निम्नानुसार हैं-

अ- एन.पी.एस. के अंतर्गत निधि के विनियमन का कार्य पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा किया जा रहा है।

ब- एन.पी.एस. ट्रस्ट एवं ट्रस्टी बैंक के रूप में एक्सिस बैंक नियुक्ति किया गया है ।

स- कस्टोडियन-स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (SHCIL)

द- राज्य शासन द्वारा दिनांक 01.04.2009 से केन्द्रीय अभिलेख संधारण एजेंसी के रूप में एन. एस.डी.एल. की सेवाएँ ली जा रही है।

ई- फण्ड मैनेजर – एस.बी.आई. पेंशन फण्ड लिमिटेड रिटायरमेंट साल्यूशन लिमिटेड, यूटीआई, एल.आई.सी. पेंशन फण्ड लिमिटेड।

06. लाभ –

i. मोबाइल एप्प तथा एन.एस.डी.एल की वेबसाइट में लॉग इन करके त्वरित रूप से एन.पी.एस खाते से संबंधित विवरण

ii. सेवा का क्षेत्र बदलने पर पेंशन निधि में जमा राशि PRAN खाते के साथ स्थानांतरित करने का लचीलापन

iii. कर्मचारियों को कर लाभ- अभिदाता अपने टियर-1 खाते में जमा राशि पर निम्नानुसार कर लाभ प्राप्त कर सकता है-

(क) कर्मचारियों का अपना अंशदान धारा 80 सी.सी.ई की 1.50 लाख की समग्र सीमा के भीतर, धारा 80 सी.सी.डी (1) के तहत कर में छूट।

(ख) नियोक्ता का अंशदान- धारा 80 सी.सी.डी(2) के तहत बिना किसी सीमा के कर में अतिरिक्त छूट।

(ग) कर में अतिरिक्त छूट - अतिरिक्त अंशदान करने पर 80 सी.सी.ई के 1.50 लाख की सीमा के अलावा कर में अधिकतम रुपये 50,000/- की छूट 80 सी.सी.डी 1(B) के तहत प्राप्त होगी।

07. आंशिक आहरण - योजना के न्यूनतम 3 वर्ष की सदस्ता पश्चात् अभिदाता पूरे सेवा काल के दौरान गृह निर्माण, अधिसूचित स्वास्थ्य समस्याओं एवं बच्चों की उच्च शिक्षा/विवाह हेतु अधिकतम 3 बार स्वयं के अंशदान का 25 प्रतिशत राशि का आंशिक आहरण कर सकता है फार्म 601pw (वित्त निर्देश 58/2017)।

08. निकासी

निकासी का प्रकार	अधिकतम एकमुश्त राशि	न्यूनतम वार्षिकी क्य	100% निकासी हेतु अधिकतम जमा	आवेदन फार्म
सेवानिवृत्ति	60%	40%	5 लाख	101GS
सेवात्याग	20%	80%	2.5 लाख	102GP
मृत्यु	20%	80%	5 लाख	103GD

09. डिफरमेंट - अभिदाता वार्षिकी क्य हेतु न्यूनतम राशि को 03 वर्ष के लिए तथा अधिकतम एकमुश्त आहरण योग्य राशि को 70 वर्ष की आयु तक आस्थगित करने का विकल्प यदि चाहे तो दे सकता है। इस हेतु अधिवार्षिकी आयु से कम से कम 15 दिन पूर्व इस आशय का सूचना देना होगा।

10. वार्षिकी क्य (Annuity Service Providers) - वार्षिकी क्य हेतु निर्धारित न्यूनतम राशि का वार्षिकी क्य करने हेतु PFRDA के द्वारा अधिकृत बीमा कंपनी से सेवाएं ली जाती हैं। APS की सूची Websit पर उपलब्ध हैं।

11. ऑन लाईन शिकायत (Grievance) - अभिदाता को PRAN खाते से संबंधित यदि को शिकायत हो तो उसके द्वारा स्वयं अथवा डी.डी.ओ के माध्यम से ऑनलाईन शिकायत दर्ज किया जा सकता है।

12. नवंबर 2021 तक ट्रस्टी बैंक "एक्सिस बैंक" को योजना की कुल राशि 11008.36 करोड़ (शब्दों में-एक सौ दस अरब आठ करोड़ छत्तीस लाख) स्थानांतरित किया जा चुका है।

1.4.4 कोषालय स्तर पर कम्प्यूटरीकरण :- राज्य शासन के वित्तीय प्रशासन को सुदृढ़ बनाने एवं आय-व्यय पर प्रभावी नियंत्रण रखने के उद्देश्य से समस्त कोषालयों एवं उपकोषालयों को दिनांक 01.04.2005 से कम्प्यूटरीकृत किया गया है। जिसमें सभी कोषालयों एवं उपकोषालयों को संचालनालय के मध्य लीज-लाईन के माध्यम से ऑनलाईन नेट-वर्किंग स्थापित की गई है। इस प्रणाली के अंतर्गत राज्य के आय-व्यय की अद्यतन स्थिति ज्ञात करने में सुविधा होती है। छ.ग. राज्य के कोषालयों में "ई-कोष" लागू कर संपूर्ण कोषालयों के कम्प्यूटरीकरण का सॉफ्टवेयर एन.आई.सी. द्वारा विकसित किया गया है। कोषालयों में डाटा प्रविष्टि के साथ अन्य कार्य जैसे की डिपॉजिट, ई-कर्मचारी, ई-पेरोल, ई-पेमेंट, पंजी का केशबुक संधारण, पेंशनर का पी.पी.ओ. जारी करना एवं सूची तैयार करना तथा बजट

कन्ट्रोल इत्यादि कार्यों का निर्वहन किया जा रहा है। वर्तमान में दिनांक 01.04.2017 से पूर्णतः केन्द्रीकृत ऑनलाईन व्यवस्था **साईबर ट्रेजरी** प्रारंभ की गई है जिसमें राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, मुख्यालय महानदी भवन, नया रायपुर में स्थापित सेंट्रल सर्वर के माध्यम से समस्त जिलो एवं उपकोषालयों का संपूर्ण कार्य ऑनलाईन संपादित होता है। इससे राज्य शासन के आय-व्यय की संपूर्ण जानकारी सेंट्रल सर्वर के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।

1.4.5 ई-चालान की सुविधा :- राज्य शासन द्वारा 10/2006 से राज्य में वाणिज्य कर विभाग में ई-चालान की सुविधा प्रारंभ की गई है एवं दिनांक 10.03.2008 से सभी विभागों के लिये भी लागू किया गया है। इस प्रक्रिया से इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करने वाला व्यक्ति घर पर ही चालान जमा कर सकता है। लेखांकन हेतु इंद्रावती कोषालय रायपुर को अधिकृत किया गया है। चालान जमा करने के उपरांत जमाकर्ता को इलेक्ट्रानिक चालान प्राप्त हो जाता है। यह सुविधा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आई.सी.आई.सी.आई. बैंक, एच.डी.एफ.सी. बैंक, इलाहाबाद बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक, आईडीबीआई बैंक, इंडियन ओव्हरसीज बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा एवं कार्पोरेशन बैंक के माध्यम से प्रदाय की जा रही है। भविष्य में लेखांकन एवं स्कालिंग संबंधित कार्य कोषालयों से लिंक कर दिया जावेगा।

1.4.6 ई-पेमेंट :- भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सहयोग से संचालक कोष, लेखा एवं पेंशन के अंतर्गत आने वाले अधिकारी/कर्मचारी का वेतन भुगतान दिनांक 01 नवम्बर 2010 से ई-पेमेंट के माध्यम से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रारंभ किया गया। इस सुविधा का विस्तार दिनांक 01.01.2011 से समस्त विभागों के लिए किया गया है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत वेतन जमा होने की सूचना शासकीय सेवकों को मोबाईल पर संदेश (Message) की सुविधा बैंक के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। सभी शासकीय विभागों द्वारा प्रदायकर्ताओं (Contractor/Vendors/Suppliers) को रु. 5,000.00 या इससे अधिक का भुगतान ई-पेमेंट के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किया जा रहा है। शासकीय सेवकों के सभी स्वत्वों का भुगतान भी ई-पेमेंट के माध्यम से किया जा रहा है। **भारतीय रिजर्व बैंक के ई-कुबेर साफ्टवेयर के माध्यम से ई-पेमेंट प्रारंभ करने का कार्य प्रक्रियाधीन है।** शीघ्र ही राज्य शासन के समस्त प्रकार के भुगतान का कार्य भारतीय रिजर्व बैंक के ई-कुबेर साफ्टवेयर के माध्यम से प्रारंभ कर दिया जाएगा।

1.4.7 साख पत्रों का कम्प्यूटरीकरण :- वित्तीय वर्ष 2013-14 में निर्माण कार्य विभागों के लिए प्रचलित साख-पत्र व्यवस्था समाप्त करते हुए ई-कोष के माध्यम से ऑनलाईन बजट आबंटन/व्यय आदि का लेखा संधारण किया जा रहा है।

1.4.8 विभागीय निरीक्षण :- कोषालय संहिता अनुभाग-03 के सहायक नियम 38 के अनुसार कोषालय का विभागीय निरीक्षण किया जाता है। संचालनालय कोष लेखा एवं पेंशन छत्तीसगढ़ के अन्तर्गत 05 संभागीय संयुक्त संचालक, 29 जिला कोषालय, 02 लेखा प्रशिक्षण शाला एवं 39 उपकोषालय संचालित है।

संभागीय संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन, संभागीय जिला कोषालयों एवं लेखा प्रशिक्षण शाला का विभागीय निरीक्षण प्रत्येक वर्ष तथा जिला कोषालयों का 03 वर्ष एवं उपकोषालयों का 6 वर्ष में किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में किये जाने वाले विभागीय निरीक्षण रोस्टर निम्नानुसार है :-

स.क्रं	माह	संभागीय संयुक्त संचालक	जिला. कोषालय	उप कोषालय
1.	जून 2021	—	रायगढ़	कसडोल
2.	जुलाई 2021	जगदलपुर	महासमुंद / गरियाबंद	—
3.	अगस्त 2021	दुर्ग	सूरजपुर / राजनांदगांव	पिथौरा / सरायपाली
4.	सितम्बर 2021	रायपुर	जिला कोषालय रायपुर / बीजापुर	भाटापारा
5.	अक्टूबर 2021	अम्बिकापुर	अम्बिकापुर / कोरिया	कुनकुरी
6.	नवंबर 2021	बिलासपुर	बिलासपुर / दुर्ग	—
7.	दिसंबर 2021	—	बलरामपुर / इन्द्रावती कोषालय नवा रायपुर	केशकाल
8.	जनवरी 2022	—	सुकमा	कोंटा
9.	फरवरी 2022	—	दंतेवाड़ा / जगदलपुर	पंखाजूर / चारामा

1.4.9 विभागीय परीक्षाएं :-

संचालनालय, कोष लेखा एवं पेंशन नवा रायपुर, अटल नगर द्वारा निम्नलिखित परीक्षाओं का आयोजन विभागीय परीक्षाएं नियम 1996 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है:-

1. लेखा प्रशिक्षण परीक्षा,
2. छ.ग. राज्य वित्त लेखा सेवा परीक्षा (परिवीक्षाधीन अधिकारियों की विभागीय परीक्षा) भाग-1 एवं भाग-2
3. छ.ग. अधीनस्थ लेखा सेवा (परिवीक्षाधीन अधिकारियों की विभागीय परीक्षा) भाग-1 एवं भाग-2
4. छ.ग. अधीनस्थ लेखा सेवा (कोषालयीन एवं अन्य विभाग के कर्मचारियों के संवर्ग में नियुक्ति हेतु विभागीय परीक्षा) भाग-1 एवं भाग-2

वित्तीय वर्ष 2021-22 में माह दिसम्बर तक निम्नानुसार परीक्षाओं का आयोजन किया गया है:-

छ.ग.राज्य वित्त लेखा सेवा (परिवीक्षाधीन) अधिकारियों को विभागीय परीक्षा भाग-1

माह एवं दिनांक	परीक्षा हेतु जारी रोल नंबर	उपस्थित	अनुपस्थित	योग	उत्तीर्ण	अनुत्तीर्ण
फरवरी - 2021 दिनांक 18.02.2021 से 24.02.2021 तक	13	13	—	13	10	03
अगस्त - 2021 दिनांक 10.08.2021 से 17.08.2021 तक	03	03	—	03	03	—

छ.ग.राज्य वित्त लेखा सेवा (परिवीक्षाधीन) अधिकारियों को विभागीय परीक्षा भाग-2

माह एवं दिनांक	परीक्षा हेतु जारी रोल नंबर	उपस्थित	अनुपस्थित	योग	उत्तीर्ण	अनुत्तीर्ण
फरवरी - 2021 दिनांक 18.02.2021 से 24.02.2021 तक	09	09	-	09	02	07
अगस्त -2021 दिनांक 10.08.2021 से 17.08.2021 तक	17	17	-	17	14	03
दिसम्बर -2021 दिनांक 20.12.2021 से 27.12.2021 तक	06	-	-	-	-	-

छ.ग. अधीनस्थ लेखा सेवा (परिवीक्षाधीन) अधिकारियों को विभागीय परीक्षा भाग-1

माह एवं दिनांक	परीक्षा हेतु जारी रोल नंबर	उपस्थित	अनुपस्थित	योग	उत्तीर्ण	अनुत्तीर्ण
फरवरी - 2021 दिनांक 18.02.2021 से 23.02.2021 तक	63	61	02	63	19	44
अगस्त -2021 दिनांक 10.08.2021 से 16.08.2021 तक	44	44	-	44	24	20
दिसम्बर -2021 दिनांक 20.12.2021 से 24.12.2021 तक	18	-	-	-	-	-

छ.ग. अधीनस्थ लेखा सेवा (परिवीक्षाधीन) अधिकारियों को विभागीय परीक्षा भाग-2

माह एवं दिनांक	परीक्षा हेतु जारी रोल नंबर	उपस्थित	अनुपस्थित	योग	उत्तीर्ण	अनुत्तीर्ण
फरवरी - 2021 दिनांक 18.02.2021 से 23.02.2021 तक	18	17	01	18	07	11
अगस्त -2021 दिनांक 10.08.2021 से 16.08.2021 तक	30	30	-	30	24	06
दिसम्बर -2021 दिनांक 20.12.2021 से 24.12.2021 तक	29	-	-	-	-	-

लेखा प्रशिक्षण परीक्षा

माह एवं दिनांक	परीक्षा हेतु जारी रोल नंबर	उपस्थित	अनुपस्थित	योग	उत्तीर्ण	अनुत्तीर्ण
दिसम्बर— 2021 दिनांक 20.12.2021 से 28.12.2021 तक	111	—	—	—	—	—

1.4.10 ऑडिट प्रकोष्ठ :- छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग, मंत्रालय नया रायपुर के पत्र क्रमांक 923/782/2013/स्था./चार दिनांक 26.08.2013 द्वारा लेखा परीक्षण कार्य को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए आयुक्त, कोष लेखा एवं पेंशन के अधीन एक पृथक आंतरिक लेखा परीक्षण (ऑडिट प्रकोष्ठ) का गठन किया गया है,

तदनुसार ऑडिट प्रकोष्ठ द्वारा राज्य के समस्त विभागाध्यक्षों एवं अधीनस्थ कार्यालयों का आंतरिक लेखा परीक्षण एवं भण्डार का भौतिक सत्यापन नियमित रूप से किया जाकर विभागों में आर्थिक हानि, वित्तीय अनियमितता तथा वित्तीय नियमों की उपेक्षा आदि से संबंधित प्रकरणों को कार्यालय प्रमुख/विभागाध्यक्ष/शासन के ध्यान में लाया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के रोस्टर अनुसार कुल 120 विभागाध्यक्ष एवं जिला कार्यालयों के लेखाओं का आंतरिक लेखा परीक्षण एवं भंडार का भौतिक सत्यापन किया जाना निर्धारित है। माह जून 2021 से माह दिसम्बर 2021 की स्थिति में कुल 70 इकाईयों का अंकेक्षण किया जा चुका है। शेष कार्यालयों के लेखाओं का आंतरिक लेखा परीक्षण एवं भंडार का भौतिक सत्यापन माह-मार्च 2022 तक पूर्ण किया जावेगा।

1.4.11 सामान्य भविष्य निधि :-

राज्य के सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों को सामान्य भविष्य निधि राशि का अंतिम भुगतान "ऑनलाईन जी.पी.एफ. फाइनल पेमेंट सिस्टम" के माध्यम से किया जा रहा है। इस सिस्टम के तहत सामान्य भविष्य निधि का अंतिम भुगतान प्राधिकार पत्र भी ऑनलाईन जारी किया जाता है। सामान्य भविष्य निधि खाता क्रमांक में राशि का प्रतिमाह अंशदान निकासी एवं अंतशेष का विवरण प्रतिमाह एस.एम.एस के माध्यम से अभिदाताओं को प्राप्त हो रहा है।

जिला कोषालय रायपुर में पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में दिनांक 15 अगस्त 2020 से लागू किया गया था जिसे दिनांक 01.04.2021 राज्य के समस्त जिलों में प्रारंभ किया गया दिसम्बर 2021 की स्थिति में कुल 3,138 प्रकरणों का ऑनलाईन जी.पी.एफ. फाइनल पेमेंट सिस्टम के माध्यम से निराकरण किया गया है।

1.4.12 सूचना का अधिकार :- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त आवेदनों का समयबद्ध निराकरण कर आवेदनकर्ता को वांछित जानकारी उपलब्ध कराया जाता है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के माह जनवरी 2021 से नवम्बर 2021 तक प्राप्त आवेदनों में निम्न कार्यवाही की गई है:-

स.क्र	प्राप्त आवेदन पत्रों का प्रकार	कुल प्राप्त आवेदन	कुल निराकृत आवेदन
1	जानकारी प्राप्त करने हेतु 6(1) के तहत आवेदन	37	37
2	प्रथम अपील हेतु आवेदन	07	07
3	द्वितीय अपील हेतु आवेदन	01	01

भाग-दो बजट एक दृष्टि में-
बजट प्रावधान एवं व्यय योजनावार

वित्तीय वर्ष 2021-22

दिनांक 23.12.2021
की स्थिति में

मांग संख्या-06, 2054-राजकोष और लेखा प्रशासन

क्र.	योजना शीर्ष	योजना का नाम	बजट प्रावधान	व्यय
1	(3843)	लेखा प्रशिक्षण शाला	9512000	3929819
2	(2274)	निदेशन एवं प्रशासन	249230000	112140170
3	(4307)	संभागीय स्थापना	105825000	48481554
4	(8904)	ऑडिट प्रकोष्ठ	34790000	18974638
5	(7919)	छ.ग. लोक वित्त प्रबंधन	15000000	5672320
6	(1026)	खजाना स्थापना	387505000	266472421
योग 2054 -			801862000	455670922

मांग संख्या-06, 2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण

07	(7000)	पेंशन कल्याण कोष की प्रतिपूर्ति	10000	0
योग 2235 -			10000	0

मांग संख्या-06, 2071-पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ

08	(6801)	राज्य शासन का अंशदान	10400000000	9710371983
योग 2071 -			10400000000	9710371983

मांग संख्या-06, 4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजी

09	(2274)	निदेशन एवं प्रशासन (वाहनों का कय)	3250000	0
योग 2274 -			3250000	0
महायोग -			11205122000	10166042905

मांग संख्या- मुख्य शीर्ष-2049-ब्याज संदाय

स. क्र.	योजना शीर्ष	योजना का नाम	वर्ष 2021-22 हेतु प्रावधान	ब्याज समायोजन राशि (दिनांक 31.12.2021 तक)
1	4192	शास. कर्मचारी समूह बीमा योजना (बीमा निधि पर ब्याज)	35,0000	21,56,52
2	4198	शास. कर्मचारी समूह बीमा योजना (बचत निधि पर ब्याज)	90,00,00	37,07,70
3	4209	शासकीय सेवक परिवार कल्याण निधि पर ब्याज	15,00,00	12,608

भाग-तीन

संचालनालय, कोष, लेखा एवं पेंशन के अंतर्गत संचालित समस्त योजना एवं स्थापना व्यय आयोजनेत्तर मद में स्वीकृत है। राज्य योजना एवं केन्द्र प्रवर्तित योजना मद में न ही कोई स्थापना व्यय है और न ही कोई योजना संचालित है, अतः इसकी जानकारी निरंक है।

भाग-चार- सामान्य प्रशासनिक विषय :- निरंक ।

भाग-पांच – अभिनव योजना

राज्य के सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों के सामान्य भविष्य निधि राशि का अंतिम भुगतान की प्रक्रिया को पूर्णतया ऑनलाईन किया गया है, जिसमें आहरण संवितरण स्तर से सामान्य भविष्य निधि का प्रकरण ऑनलाईन तैयार कर महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित किया जाता है, तत्पश्चात् महालेखाकार कार्यालय से Online Digital हस्ताक्षर युक्त अंतिम भुगतान प्राधिकार पत्र जारी किया जाता है, उक्त विशेष हस्ताक्षर युक्त प्राधिकार पत्र के आधार पर ही कोषालयों से सीधे सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों के बैंक खातों में राशि अंतरित कर दी जाती है। उक्त कार्य जिला कोषालय रायपुर में 01.11.2020 से प्रारंभ किया गया तथा दिनांक 01.04.2021 से समस्त राज्य में Online GPF Final Payment प्रक्रिया को प्रारंभ किया गया है ।

भाग-छ:- विभाग द्वारा निकाले जा रहे प्रकाशन:- निरंक ।

भाग-सात- अन्य विवरण

समूह बीमा योजना –

दिनांक 01.11.1974 से शासकीय परिवार कल्याण निधि योजना अनिवार्य रूप से प्रभावशील की गई है तत्पश्चात् म.प्र. शासन द्वारा दिनांक 01.07.1985 से समूह बीमा योजना प्रभावशील करते हुए यह प्रावधान रखा गया है कि शासकीय सेवक परिवार कल्याण योजना 1974 के सदस्य अपना नकारात्मक विकल्प प्रस्तुत कर पूर्व अनुसार परिवार कल्याण निधि योजना के सदस्य बने रहकर योजना के अंतर्गत अनिवार्य रूप से अंशदान जमा कराते रहेंगे। किन्तु ऐसा विकल्प प्रस्तुत न करने पर वे स्वमेव समूह बीमा योजना, 1985 के अनिवार्य सदस्य होंगे तथा अनिवार्य रूप से उनके वेतन से समूह बीमा योजना, 1985 के अंतर्गत कटौती किया जावेगा।

यह योजना संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन के प्रशासकीय नियंत्रणाधीन है तथा योजनाओं से संबंधित बिन्दुओं पर प्रशासित करना, योजनाओं के अभिलेखों का निरीक्षण करना, योजना के अंतर्गत भुगतान राशि का परीक्षण करना, योजना से संबंधित आय-व्यय के आंकड़े संबंधी संचित अवशेष राशियों पर ब्याज संगणित करना एवं शासन को प्रतिवेदन का कार्य सौंपा गया है। इस विभाग द्वारा कई कार्यालय प्रमुखों द्वारा जारी किये गये परिवार कल्याण निधि तथा समूह बीमा योजना के अधीन स्वीकृति आदेश तथा पात्रता राशि का परीक्षण किया जाता है और त्रुटि पाये जाने पर संबंधितों को सुधार हेतु लेख किया जाता है साथ ही चाहे जाने पर उन्हें मार्गदर्शन भी दिया जाता है।

वर्तमान में 01.07.2017 से समूह बीमा योजना के अभिदान कटौती राशि में पुनः 50 प्रतिशत वृद्धि की कार्यवाही शासन स्तर पर की गयी है । जिसमें प्रथम श्रेणी के शासकीय सेवकों का कटौती 480/-, द्वितीय श्रेणी 360/-, तृतीय श्रेणी 300/- एवं चतुर्थ श्रेणी का कटौती 180/- किया गया है।

परिवार कल्याण निधि तथा समूह बीमा योजना में प्रतिवर्ष जमा राशि पर देय ब्याज राशियों का अंतरण प्रविष्टि के माध्यम से समायोजन किया जाता है। उक्त योजना के अधीन सिर्फ सेवानिवृत्ति/सेवापृथक की स्थिति में बचत निधि पर तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज सहित तथा मृत्यु की दशा में बीमा राशि देय होती है।

संचालनालय, छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा
इन्द्रावती भवन, ब्लॉक-ए, द्वितीय तल, नवा रायपुर अटल नगर

भाग - 1

01. सामान्य जानकारी :-

छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा अधिनियम 1973 में निहित प्रावधानों के अनुसार राज्य में स्थित निगमित एवं अनिगमित स्थानीय निकायों एवं शैक्षणिक संस्थाओं आदि जिनकी संख्या बारह हजार से अधिक है के लेखाओं का अंकेक्षण किया जाता है। अंकेक्षण प्रतिवेदन में स्थानीय निकायों की आर्थिक स्थिति तथा लेखाओं के संबंध में संक्षिप्त विवरण सम्मिलित करते हुए, दृष्टिगत वित्तीय अनियमितताओं एवं महत्वपूर्ण आपत्तियों का समावेश किया जाता है। राज्य से अनुदान एवं गैर अनुदान प्राप्त समस्त निगमों, मण्डलों, बोर्डों, अकादमी आदि में कार्यरत मूल अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन निर्धारण की जांच एवं सत्यापन का कार्य भी किया जाता है।

इस प्रतिवेदन में वित्तीय 2021-22 (31.12.2021 तक) की अवधि में, जिन स्थानीय निकायों के लेखाओं की संपरीक्षा संपादित की गई है, उनकी आर्थिक स्थिति एवं लेखाओं के विशिष्टताओं का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। अनियमितताओं के संबंध में निकायों की संपरीक्षा के समय ही, निकाय के प्रधान अधिकारियों के साथ विचार विमर्श पश्चात् विगत तथा वर्तमान संपरीक्षा प्रतिवेदनों में उत्थापित आपत्तियों के निराकरण तथा लेखा प्रणाली में आवश्यक सुधार लाने हेतु अभिमत दिया जाता है। अंकेक्षित निकायों के प्रशासकीय विभागों को भी अंकेक्षण की प्रति प्रेषित की जाती है।

02. छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा का प्रशासकीय ढांचा :-

छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के पत्र क्रमांक 922/1825/2019/स्था/चार नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 11.10.2021 के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा के इन्द्रावती भवन स्थित संचालनालय सहित पूर्व स्थापित 6 क्षेत्रीय कार्यालय एवं वर्ष 2020-21 के विभागीय बजट में स्वीकृत 02 नवीन क्षेत्रीय कार्यालय, इस प्रकार कुल 08 क्षेत्रीय कार्यालयों और उनमें सम्मिलित जिलों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	कार्यालय का नाम	कार्यालय में सम्मिलित जिलों का नाम	कुल पद संख्या
1	संचालनालय, नवा रायपुर अटल नगर	-	74
2	कार्यालय संयुक्त संचालक, रायपुर - I*	रायपुर	51
3	कार्यालय संयुक्त संचालक, बिलासपुर*	बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, मुंगेली	56
4	कार्यालय संयुक्त संचालक, जगदलपुर*	कांकेर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, बस्तर, सुकमा, कोण्डागांव	43
5	कार्यालय उप संचालक, राजनांदगांव	राजनांदगांव, कवर्धा, बालोद	38
6	कार्यालय उप संचालक, रायगढ़	जशपुर, रायगढ़, कोरबा	38
7	कार्यालय संयुक्त संचालक, अम्बिकापुर*	सरगुजा, कोरिया, बलरामपुर, सूरजपुर	37
8	कार्यालय उप संचालक, रायपुर -II**	महासमुंद, धमतरी, बलौदाबाजार-भाटापारा, गरियाबंद	42
9	कार्यालय उप संचालक, दुर्ग**	दुर्ग, बेमेतरा	46
कुल पद संख्या			425

- टीप- (1) * संयुक्त संचालक कार्यालय स्वीकृत,
 (2) * * नवीन क्षेत्रीय कार्यालय स्वीकृत.
 (3) संयुक्त संचालक(वित्त) के प्रतिनियुक्ति पद शामिल नहीं है।

संचालनालय एवं अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों में दिनांक 31.12.2021 की स्थिति में कार्यरत स्टॉफ की जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र	पद का नाम	मैट्रिक्स लेबल	श्रेणी	स्वीकृत
1	संचालक	भारतीय प्रशासनिक सेवा का वेतनमान	प्रथम श्रेणी	01
2	अतिरिक्त संचालक	लेबल-15	प्रथम श्रेणी	02
3	संयुक्त संचालक	लेबल-14	प्रथम श्रेणी	06
4	उप संचालक	लेबल-13	प्रथम श्रेणी	12
5	सहायक संचालक	लेबल-12	द्वितीय श्रेणी	34
6	ज्येष्ठ संपरीक्षक	लेबल-08	तृतीय श्रेणी	87
7	असिस्टेंट प्रोग्रामर	लेबल-09	तृतीय श्रेणी	01
8	अधीक्षक	लेबल-09	तृतीय श्रेणी	01
9	मुख्य लिपिक / सहायक ग्रेड 1	लेबल-07	तृतीय श्रेणी	04
10	सहायक अधीक्षक	लेबल-08	तृतीय श्रेणी	01
11	स्टेनोग्राफर	लेबल-07	तृतीय श्रेणी	01
12	सहायक संपरीक्षक	लेबल-06	तृतीय श्रेणी	170
13	लेखापाल	लेबल-06	तृतीय श्रेणी	01
14	सहायक ग्रेड 2	लेबल-06	तृतीय श्रेणी	15
15	डाटा एंट्री ऑपरेटर	लेबल-06	तृतीय श्रेणी	11
16	सहायक ग्रेड 3	लेबल-04	तृतीय श्रेणी	27
17	स्टेनो टायपिस्ट	लेबल-04	तृतीय श्रेणी	05
18	वाहन चालक	लेबल-04	चतुर्थ श्रेणी	09
19	भृत्य	लेबल-01	चतुर्थ श्रेणी	29
20	चौकीदार (अस्थाई)	लेबल-01	चतुर्थ श्रेणी	08
योग				425

टीप -संयुक्त संचालक (वित्त) के प्रतिनियुक्ति पद शामिल नहीं है।

छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा अधिनियम, 1973 के तहत कुल 13223 निकायों के लेखाओं की संपरीक्षा की जाती है छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा के अधीनस्थ क्षेत्रीय रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, राजनांदगांव, रायगढ़ एवं अम्बिकापुर में पदस्थ अमले द्वारा क्षेत्र अंतर्गत स्थित स्थानीय नगरीय निकाय, पंचायती राज संस्था एवं अन्य निगमित तथा अनिगमित निकायों की संपरीक्षा की जाती है।

03. छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा का कार्य :-

छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा का कार्य निम्नानुसार है :-

छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा अधिनियम 1973 की धारा 4(1) एवं 21(3) के अन्तर्गत राज्य शासन द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये समय-समय पर जारी अधिसूचना के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा अधिनियम के अधीन अंकेक्षणधीन घोषित समस्त स्थानीय निकायों का अंकेक्षण कार्य संपादित करना।

ऐसी सभी संस्थाओं का अंकेक्षण कार्य संपादित करना जिनके अंकेक्षण किसी ऐसे अधिनियम द्वारा या उसके अधीन, जिसके अनुसार ऐसी संस्थाओं का गठन किया गया हो, छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा द्वारा किया जाना उपबंधित हो।

ऐसे सभी स्थानीय प्राधिकरणों तथा निगमित और गैर निगमित निकायों के लेखाओं के अंकेक्षण के अतिरिक्त छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा को, राज्य शासन के वित्त विभाग की पूर्व स्वीकृति पर, ऐसी किसी भी अन्य संस्थाओं के लेखाओं का अंकेक्षण करना होता है जो शासन द्वारा समय-समय पर सौंपी गयी हो।

छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा द्वारा किये जाने वाले अंकेक्षण कार्य के आधार पर स्थानीय निकायों पर अंकेक्षण शुल्क आरोपित कर वसूली करना।

निकायों के अंकेक्षण कार्य के पश्चात् समक्ष आई वित्तीय अनियमितताओं को संकलित कर अंकेक्षण प्रतिवेदन तैयार कर संबंधित निकाय एवं उनके प्रशासकीय विभागों की ओर वित्तीय अनियमितताओं को दूर करने के उद्देश्य से प्रतिवेदन प्रसारित करना।

प्रभक्षण, वित्तीय कदाचार आदि के प्रकरणों पर त्वरित कार्यवाही हेतु विशेष प्रतिवेदन निकाय एवं उनके प्रशासकीय विभाग की ओर प्रेषित करना।

स्थानीय निकायों के एवं अनुदान प्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन निर्धारण एवं नगर पालिक निगम रायपुर तथा इ.गा.कृ.वि.वि. रायपुर अधिकारियों/कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण का निराकरण करना।

अंकेक्षण प्रतिवेदन संबंधित निकाय एवं उनके प्रशासकीय विभागों की ओर प्रसारण उपरांत आक्षेपों के निराकरण हेतु चार माह बाद आगामी अभ्युक्तियों जारी करना।

अंकेक्षण के दौरान संबंधित निकायों में वित्तीय नियमों के परिपालन के संबंध में मार्गदर्शन देना।

स्थानीय निकायों के प्राधिकारियों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा अपने कर्तव्यों की घोर उपेक्षा किये जाने के फलस्वरूप निकाय की निधि से हुये दुर्व्यय या दुरुपयोजन की पूर्ति संबंधित प्राधिकारियों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों से किये जाने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा अधिनियम 1973 की धारा 10, 11, 12 एवं 13 के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही करना।

04. प्रशिक्षण :-

संचालनालय, छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा के अधिकारियों/कर्मचारियों को समय-समय पर निम्नलिखित विषयों पर प्रशिक्षण कराये गये हैं :-

1. ऑडिट ऑनलाईन विषय पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए संचालनालय स्तर पर प्रशिक्षण का आयोजन किया गया।
2. पी.एफ.एम.एस. प्रोजेक्ट के तहत कार्यशाला एवं मीटिंग का आयोजन वर्चुअल तरीके से किया गया।

05. सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के क्रियान्वयन :-

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा - 18 एवं धारा "क" के अंतर्गत इस संचालनालय के कार्यालयों के लिए क्रमशः अपीलीय अधिकारी एवं लोक सूचना अधिकारी नियुक्ति किये गये हैं।

उक्त के अलावा प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी नामित किये गये हैं। संचालनालय द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानानुसार समुचित कार्यवाही की जा रही है। सूचना के अधिकार के तहत विभाग में प्राप्त आवेदनों का यथा समय निराकरण किया जाता है। इस वित्तीय वर्ष में 31 प्रकरण प्राप्त हुये तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष इस वर्ष 01 प्रकरण प्राप्त हुआ। उक्त सभी प्रकरणों का यथा समय निराकरण कर दिया गया।

06. दक्षता संपरीक्षा (Performance Audit):-

विगत कुछ वर्षों में विकास कार्यों तथा कल्याणकारी गतिविधियों के संदर्भ में न केवल केन्द्र तथा राज्य सरकारों के द्वारा बल्कि कुछ बड़े स्थानीय प्राधिकरणों, निगमित तथा गैर निगमित निकायों के द्वारा भी किए जा रहे शासकीय व्यय के स्वरूप में काफी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। इस कारण छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा के द्वारा अपने नियमित अंकेक्षण के साथ-साथ छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा के विभागीय मैनुअल 2004 में दिए प्रावधानों अंतर्गत, दक्षता संपरीक्षा का कार्य भी किया जाता है। इसके अंतर्गत निकायों में प्रचलित योजनाओं के दक्षता लेखा परीक्षा के परिणामों के आधार पर योजना लक्ष्यों तथा पुर्वानुमानों के संदर्भ में वर्ष में योजना व्यय की प्रगति तथा कार्य कुशलता का संपूर्ण मूल्यांकन करते हुए लाभान्वित वर्गों को प्राप्त हुए लाभ की समीक्षा की जाती है। इस अनुक्रम में छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा के द्वारा स्थानीय नगरीय निकायों के अंतर्गत क्रियान्वित तथा पंचायतों में संचालित निम्न योजना के दक्षता संपरीक्षा का कार्य किया जा चुका है:-

1. वाटर ए.टी.एम.योजना की दक्षता संपरीक्षा,
2. जीवनदीप समिति की दक्षता संपरीक्षा,
3. इंदिरा प्रियदर्शिनी एल.ई.डी. पथ प्रकाश योजना,
4. मनरेगा अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यक्रम,

तथा छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा के द्वारा स्थानीय नगरीय निकायों के अंतर्गत क्रियान्वित तथा पंचायतों में संचालित निम्न योजना के दक्षता संपरीक्षा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है:-

1. पुष्प वाटिका उद्यान योजना
2. भागीरथी नल जल योजना
3. साप्ताहिक बाजार एवं साईकल स्टैंड टेका
4. स्वामी आत्मानंद वाचनालय योजना

07. छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा अधिनियम, 1973 को अद्यतन किया जाना :-

वर्तमान में संचालनालय के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अनुसार अंकेक्षण का कार्य किया जाता है। यह अधिनियम मूलतः 1933 का अधिनियम है जिसे आंशिक परिवर्तनों के साथ वर्ष 1973 में नवीन अधिनियम के साथ प्रतिस्थापित किया गया है। वर्तमान परिवेश में स्थानीय, स्वायत्तशासी निकायों निगमित, गैर निगमित निकायों की संख्या एवं इनके कार्य क्षेत्र में वृद्धि तथा इसके स्वयं के अधिनियमों में आवश्यकतानुरूप परिवर्तन साथ ही इन निकायों के माध्यम से शासन की अत्यधिक राशि के व्यय के दृष्टिगत इनके लेखाओं की जांच किया जाना आवश्यक है। इस उद्देश्य से तथा अन्य राज्यों में छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा के अधिकारियों के द्वारा किए गए भ्रमण के प्राप्त परिणामों के आधार पर वर्तमान में प्रचलित छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा अधिनियम, 1973 की धाराओं में परिवर्तन कर युक्तियुक्त करण किया जाकर इसके धाराओं संशोधन की कार्यवाही की जाकर निम्नानुसार संशोधनों के साथ छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2020 प्रभावशील है।

छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2020 के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा के स्थान पर **छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा** प्रतिस्थापित करते हुए संपरीक्षा की नवीन प्रविधियों का निम्नानुसार समावेश किया गया है :-

- संपरीक्षा के नवीन सोपान यथा- फारेंसिक संपरीक्षा, वित्तीय संपरीक्षा, अनुपालन संपरीक्षा एवं जोखिम आधारित संपरीक्षा को समावेश किया गया।
- अभिलेख प्रस्तुत न होने पर दंड की राशि ₹500/- के स्थान पर ₹25000/- एवं कारण दर्शाने हेतु समय सीमा 3 दिवस संशोधित किया गया है।
- संचालक के वार्षिक प्रतिवेदन हेतु पंचायत एवं नगरीय निकाय के अतिरिक्त विभाग अधीनस्थ समस्त अंकेक्षणाधीन निकायों को सम्मिलित किया गया है।

08. छत्तीसगढ़ विधान सभा के “पंचायत राज एवं स्थानीय निकाय लेखा समिति” की बैठक :-

छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा के द्वारा पंचायत राज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों के अंकेक्षण उपरांत तैयार किए गए समेकित प्रतिवेदन विधान सभा में प्रस्तुत किए जाते हैं। अब तक कुल 05 समेकित प्रतिवेदन विधान सभा के पटल पर प्रस्तुत कराए जा चुके हैं। इन प्रतिवेदनों की प्राप्तियों पर विचार /परीक्षण करने के लिए छत्तीसगढ़ विधान सभा में दिनांक 01.05.2018 को “पंचायत राज एवं स्थानीय निकाय लेखा समिति” का गठन किया गया है। दिनांक 01.04.2021 से 31.12.2021 की अवधि में समिति की कुल 02 बैठक हुई है जिनमें स्थानीय निकायों की अंकेक्षण उपरांत प्राप्त महत्वपूर्ण कंडिकाओं पर चर्चा की गई।

09. छत्तीसगढ़ पब्लिक फायनेंसियल मैनेजमेंट एवं एकाउंटेविलीटी कार्यक्रम (CGPFMAP) :-

विश्व बैंक से सहायता प्राप्त इस कार्यक्रम के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा के सुदृढीकरण का कार्य किया जाना है। इस कार्य हेतु छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा की दक्षता एवं प्रभावशीलता में सुधार, छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा अधिनियम/नियम/नियमावली में आवश्यक संशोधन, संपरीक्षकों में क्षमता निर्माण, संपरीक्षकों को तकनीकी सहायता/प्रशिक्षण, संपरीक्षा कार्य में नवीन प्रणालियों को अपनाया जाना तथा पायलट ऑडिट संचालित किया जाकर तदानुसार बैकलॉग को समाप्त करने का कार्य सम्मिलित है।

संचालनालय द्वारा इस कार्यक्रम अंतर्गत विश्व बैंक के Program Appraisal Document के DLI #4 अनुसार, निविदा आयोजित किया गया एवं शासन के अनुमोदन उपरांत कंसल्टेंट की नियुक्ति कर दिनांक 29 जून 2020 को कार्यादेश जारी किया गया है।

कंसल्टेंट फर्म मेसर्स एस.के.पटौदिया एण्ड एसोसिएट्स के साथ, शासन से स्वीकृत Terms Of Reference (TOR) के अनुसार अनुबंध संपादित किया गया, जिसके अनुसार इस कार्य के 02 भाग **Part-A** (Part-A के निम्नानुसार कुल 7 Deliverables हैं) और **Part-B** है :-

Part-A Deliverables	1	Inception Report	15 माह
	2	AS IS study and Gap analysis report; current hardware status in DLFA; draft Training Needs Analysis	
	3	Draft Local Fund Audit Strengthening Plan including time-lined action plan; Communication Strategy	
	4	Draft Local Fund Audit Act/Rule/Manual	
	5	Report on Pilots conducted and Final Strengthening Plan, Finalization of Audit Manual	
	6	Training Strategy and Training materials	
	7	Report on Training of Champions and Audit Staff	
Part-B		Hand-holding Support	24 माह

कंसल्टेंट के द्वारा Part-A के अब तक 04 Deliverables पूर्ण किए जाकर अपना प्रतिवेदन दे दिया गया है। Deliverable 1 "Inception Report" की प्रशासकीय एवं भुगतान की स्वीकृति वित्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दी जा चुकी है। शेष तीन प्रतिवेदनों/Deliverables पर प्रशासकीय अनुमोदन प्रक्रियाधीन है। Deliverable 5 भी पूर्ण हो चुका है जिसे, संचालनालय की समिति के समक्ष रखा जाना है। Deliverable 6 अंतर्गत Training Strategy तैयार हो गई है तथा Training के दौरान प्रदान किये जाने वाले Training Materials भी निर्धारित किये जा चुके हैं। कंसल्टेंट के द्वारा पूर्व में संपन्न किये गये कार्य के भुगतान के पश्चात् विभागीय अधिकारियों एवं संपरीक्षकों को Training प्रदान किया जाना है।

10. विभागीय अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा का आयोजन :-

छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा में अर्हता प्राप्त ज्येष्ठ संपरीक्षकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रतिवर्ष "छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा" का आयोजन किया जाता है। इस परीक्षा के भाग एक में 05 प्रश्न पत्र एवं भाग-दो में 05 प्रश्न पत्र होते हैं। इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के उपरांत ही कर्मचारी ज्येष्ठ संपरीक्षक के पद पर स्थायी या पदोन्नति प्राप्त कर सकते हैं। वर्ष 2021 की अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा, माह फरवरी 2022 में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है।

11. विभागीय पदोन्नति :-

छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा के अधीनस्थ लेखा सेवा (SAS) उत्तीर्ण 6 कर्मचारियों की ज्येष्ठ संपरीक्षक पद पर वर्ष 2020 की पदोन्नति की कार्यवाही संचालनालयीन आदेश क्रमांक 62 दिनांक 02.07.2021 द्वारा की गई। नवीन सेट-अप स्वीकृति पश्चात संयुक्त संचालक पद से अतिरिक्त संचालक के पद पर पदोन्नति हेतु प्रस्ताव, उप संचालक पद से संयुक्त संचालक पद पर पदोन्नति, सहायक संचालक से उप संचालक पद पर पदोन्नति हेतु एवं ज्येष्ठ संपरीक्षक से सहायक संपरीक्षक पद पर पदोन्नति हेतु प्रस्ताव पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

12. रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन :-

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग की सहमति क्रमांक 208/2145/2015/स्था./चार, नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 27.02.2021 एवं पत्र क्रमांक 843/2145/2015/स्था./चार नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 22.09.2021 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा के निम्नानुसार रिक्त पदों पर छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा भर्ती की प्रक्रिया की जा रही है। व्यापम द्वारा भर्ती हेतु परीक्षा की तिथि, दिनांक 02.01.2022 को निर्धारित की गई है।

क्रमांक	पदनाम	श्रेणी	रिक्त पदों पर भर्ती
1	ज्येष्ठ संपरीक्षक	तृतीय	11
2	सहायक संपरीक्षक	तृतीय	54
3	स्टेनोग्राफर (हिन्दी)	तृतीय	01
4	स्टेनो टाइपिस्ट(हिन्दी)	तृतीय	03
5	डाटा एंट्री ऑपरेटर	तृतीय	01

13. अपलेखन -

छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं योजना विभाग नया रायपुर के पत्र क्रमांक 502/वित्त/ब-4/2014 दिनांक 09.07.2014 (वित्त निर्देश 39/2014) के अनुक्रम में संचालनालय एवं अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों को प्रदत्त कम्प्यूटर्स सह उपकरण, प्रिंटर, फोटोकॉपीयर्स एवं फर्नीचर जो अत्यंत पुराने

एवं अनुपयोगी हो गए थे, के लिए अपलेखन की कार्यवाही की गई। इस कार्यवाही से कार्यालयों के अनुपयोगी समानों का 95 प्रतिशत अपलेखन किया जा चुका है। अप्रयोज्य एवं अपलेखन योग्य सामग्रियों हेतु नियमानुसार मेटल स्क्रेप ट्रेडिंग कारपोरेशन से निविदा की कार्यवाही संपन्न की गई। अपलेखन की कार्यवाही पूर्ण कर राशि रु. 91,417.00 शासन के निर्धारित लेखा शीर्ष में जमा कराया गया।

14. विभागीय कम्प्यूटरीकरण (elfa) :-

छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा के कार्यों यथा अंकेक्षण प्रतिवेदन तैयार करने, आपत्तियों के संग्रहण, अंकेक्षण प्रतिवेदनों का प्रसारण, अंकेक्षण संबंधी अन्य MIS तैयार करने के लिए EU-SPP योजना अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा के विभागीय कार्यों का कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है। यह कार्य NIC के माध्यम से किया गया है। वर्तमान में विभागीय वेबसाइट www.lfa.cg.nic.in के अलावा पंचायत राज संस्थाओं एवं स्थानीय नगरीय निकायों के अंकेक्षण आपत्तियों के input format's एवं output format's विकसित किया गया है। इसके अतिरिक्त कृषि उपज मंडी समितियों एवं विश्वविद्यालयों में अंकेक्षण के दौरान प्राप्त आपत्तियों के format's भी विकसित किए जा रहे हैं। दिसंबर 2021 की स्थिति में पंचायत राज संस्थाओं के 3947 एवं नगरीय निकायों के कुल 447 अर्थात् कुल 4394 प्रतिवेदन इस software में entry किए जा चुके हैं।

15. Audit Online Software :-

भारत सरकार पंचायत राज मंत्रालय के निर्देशानुसार त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के लेखाओं का अंकेक्षण Audit Online Software के माध्यम से किया जाना है। इस हेतु राज्य का पंचायत विभाग नोडल विभाग होगा तथा आडिट कार्य की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा विभाग की होगी।

Audit Online Software के संबंध में भारत शासन के द्वारा जारी किये गये निर्देशों एवं पंचायत संचालनालय के द्वारा जारी पत्र के अनुसार इस वर्ष 100 प्रतिशत ग्राम पंचायतों की 14वें एवं 15वें केन्द्रीय वित्त आयोग के राशि का ही अंकेक्षण का कार्य (अर्थ वर्ष 2020-21) किया जाना है। इस हेतु पंचायत संचालनालय के द्वारा कुल 2336 ग्राम पंचायतों का वर्ष 2019-20 की संपरीक्षा, इस कार्यालय के द्वारा निर्धारित समय सीमा 31.07.2021 से पहले पूर्ण कर लिया गया।

Audit Online Software भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा विकसित होने के कारण इससे संपादित राज्य के समस्त पंचायतों के संपरीक्षा की प्राप्ति एवं व्यय भारत शासन के सीधे परीक्षण के अधीन है।

14वें केन्द्रीय वित्त आयोग की राशि के अंकेक्षण हेतु चयनित ग्राम पंचायतों के अंकेक्षण Audit Online Software के माध्यम से किया जाकर उत्थापित आपत्तियों का समेकित प्रतिवेदन के प्रकाशन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

15वें वित्त आयोग के द्वारा पंचायत राज संस्थाओं के तीनों स्तरों यथा ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, एवं जिला पंचायतों को प्रदत्त राशि से किए गए व्यय का 100 प्रतिशत संपरीक्षा, ऑडिट ऑनलाईन सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाना है। उक्त अंकेक्षण के कार्य को समय-सीमा में किये जाने हेतु कार्य योजना तैयार कर अंकेक्षण कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। Audit Online Software के माध्यम से अंकेक्षण कार्य में सुविधा की दृष्टि से USER MANUAL तैयार किया जाकर प्रकाशन का कार्य किया जा रहा है।

16. वेतन निर्धारण एवं सत्यापन प्रकोष्ठ :-

वित्त विभाग छ.ग. शासन के परिपत्र क्रमांक 1533/एल 11-2/ वित्त/2010/ बजट-4/चार रायपुर, दिनांक 13.10.2011 एवं 788/ एफ-01002199/एल-11-2/ब-4 द्वारा राज्य

शासन के अधीन कार्यरत निगम/मण्डल/आयोग/अर्धशासकीय संस्थाओं तथा शत-प्रतिशत अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाओं के कर्मचारियों का वेतन पुनरीक्षण हेतु दिए गए निर्देशानुसार राज्य के समस्त स्थानीय निकायों, स्वशासीय निकायों, निगमों, मंडलों एवं आयोगों एवं अनुदान प्राप्त समस्त संस्थाओं के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दिये जाने वाले वेतन भत्तों का निर्धारण एवं सत्यापन का कार्य संचालनालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से किया जाता है। प्रतिवेदनाधीन अवधि (01.04.2021 से 31.12.2021 तक) में संचालनालय में 397 एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में 5409 कुल 5806 वेतन निर्धारण प्रकरणों का सत्यापन किया गया एवं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर एवं कामधेनु विश्वविद्यालय दुर्ग तथा नगर पालिक निगम रायपुर के सेवा निवृत्त अधिकारियों कर्मचारियों के कुल 154 पेंशन प्रकरणों का प्रमाणिकरण किया गया ।

17. विधानसभा प्रकोष्ठ:-

संचालनालय स्थित इस प्रकोष्ठ के द्वारा नगरीय निकायों, पंचायत राज संस्थाओं, अनुदान प्राप्त एवं अन्य स्वायत्तशासी संस्थाओं के संपादित संपरीक्षा का समेकित प्रतिवेदन तैयार कर वित्त विभाग के माध्यम से विधान सभा में प्रस्तुत कराया जाता है। उक्त प्रतिवेदन पर विचार करने हेतु गठित विधानसभा समिति के निर्देशानुसार मौखिक साक्ष्य हेतु आपत्तियों का चयन तथा आपत्तियों के निराकरण, साक्ष्य अभिलेखों का संधारण आदि की कार्यवाही भी इस शाखा के द्वारा की जाती है ।

18. विश्वविद्यालय प्रकोष्ठ:-

छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा के विभागीय मैनुअल 2004 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार राज्य के समस्त विश्वविद्यालयों के अंकेक्षण प्रतिवेदनों का अनुमोदन संचालनालय के द्वारा किया जाना है इस हेतु संचालनालय में विश्वविद्यालय प्रकोष्ठ गठन किया गया है। जिसके अंतर्गत संपरीक्षित समस्त विश्वविद्यालयों के अंकेक्षण प्रतिवेदनों का परीक्षण किया जाकर, अनुमोदित कराया जाता है एवं इस अनुमोदित प्रतिवेदनों का प्रसारण संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों के द्वारा किया जाता है। दिनांक 01.04.2021 से 31.12.2021 तक निम्न विश्वविद्यालयों के अंकेक्षण प्रतिवेदनों का अनुमोदन विश्वविद्यालय प्रकोष्ठ के द्वारा किया गया है :-

क्र.	विश्वविद्यालय का नाम	वित्तीय वर्ष	अनुमोदन दिनांक
1	पंडित सुन्दर लाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय बिलासपुर	2019-20	09.03.2021
2	अटल बिहारी बाजपेयी, विश्वविद्यालय बिलासपुर	2017-18 से 2019-20	09.03.2021
3	लेखा नियंत्रक इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर	2012-13	24.07.2021
4	लेखा नियंत्रक इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर	2014-15	29.10.2021

19. जनकार्य दिवस की स्थिति :-

अ. वित्तीय वर्ष 2020-21 की जनकार्य दिवसों की स्थिति निम्नानुसार थी:-

01.04.2020 को अवशेष	2020-21 की मांग	कुल मांग	वर्ष 2020-21 में संपादित कार्य	31.03.2020 को अवशेष
770617	84884	855501	10684	844817

ब. वित्तीय वर्ष 2021-22 (31.12.2021 तक) में जनकार्य दिवसों की स्थिति निम्नानुसार थी:-

01.04.2021 को अवशेष	2021-22 की मांग	कुल मांग	वर्ष 2021-22 में संपादित कार्य (31.12.2021 तक)	31.12.2021 को अवशेष
844817	87934	932751	11564	921187

20. संपरीक्षा शुल्क :-

अ. 2020-21 में संपरीक्षा शुल्क जमा एवं शेष की स्थिति निम्नानुसार थी:-

01.04.2020 को प्रारंभिक शेष	2020-21 की मांग	कुल मांग	कुल वसूली (31.03.2020 तक)	दिनांक 31.03.2020 को अवशेष
22,10,63,365.00	3,69,10,697.00	25,79,74,062.00	4,37,99,875.00	21,41,74,187.00

ब. 2021-22 (31.12.2021 तक) में संपरीक्षा शुल्क जमा एवं शेष की स्थिति निम्नानुसार थी:-

01.04.2021 को प्रारंभिक शेष	2021-22 की मांग	कुल मांग	कुल वसूली (31.12.2021 तक)	दिनांक 31.12.2021 को अवशेष
21,41,74,187.00	1,77,76,307.00	23,19,50,494.00	97,85,423.00	22,21,65,071.00

21. संपरीक्षा प्रतिवेदन :-

वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 (31.12.2021 तक) में विभिन्न संस्थाओं/निकायों की ओर संपरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रसारण की स्थिति का विवरण निम्नानुसार है :-

अ. वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रसारित संपरीक्षा प्रतिवेदनों की स्थिति निम्नानुसार रही थी:-

01.04.2020 को प्रसारण हेतु लंबित प्रतिवेदन	2020-21 में प्राप्त प्रतिवेदन	कुल प्रतिवेदन	वर्ष 2020-21 में प्रसारित प्रतिवेदन	31.03.2020 को प्रसारण हेतु अवशेष
48	256	304	248	56

ब. वित्तीय वर्ष 2021-22 (दिनांक 31 दिसम्बर 2020 तक) में प्रतिवेदन प्रसारण की स्थिति निम्नानुसार है :-

01.04.2020 को प्रसारण हेतु अवशेष	2021-22 में (31.12.2021 तक) प्राप्त प्रतिवेदन	कुल प्रतिवेदन	वर्ष 2021-22 में (31.12.2021 तक) प्रसारित प्रतिवेदन	31.12.2021 को प्रसारण हेतु अवशेष
56	3040	3096	3041	55

22. निराकृत आपत्तियां :-

वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 (31.12.2021 तक) की स्थिति में विभिन्न स्थानीय निकायों की ओर लंबित एवं निराकृत आपत्तियों की जानकारी एवं सन्निहित राशि की जानकारी निम्नानुसार थी:-

अ. वित्तीय वर्ष 2020-21 की स्थिति में :-

प्रारंभिक लंबित ऑडिट आपत्ति संख्या	वर्ष के दौरान लिये गये ऑडिट आपत्तियों की संख्या	कुल अवशेष ऑडिट आपत्तियों की संख्या	वर्ष के दौरान निराकृत ऑडिट आपत्तियों की संख्या	अवशेष ऑडिट आपत्तियों की संख्या	सन्निहित राशि ₹
359379	6267	365646	1544	364102	2,57,06,60,92,330.00

ब. वित्तीय वर्ष 2021-22 (31.12.2021 तक) की स्थिति में :-

प्रारंभिक लंबित ऑडिट आपत्ति संख्या	वर्ष के दौरान लिये गये ऑडिट आपत्तियों की संख्या	कुल अवशेष ऑडिट आपत्तियों की संख्या	वर्ष के दौरान निराकृत ऑडिट आपत्तियों की संख्या	अवशेष ऑडिट आपत्तियों की संख्या	सन्निहित राशि ₹
364102	22898	387000	19682	367318	2,64,16,11,52,042.00

23. स्थानीय निकायों के आय-व्यय -

प्रतिवेदनाधीन वर्ष में जिन निकायों की संपरीक्षा की गई उनके आय-व्यय के आंकड़े निम्नानुसार रहे:-

(राशि ₹ में)

अ. वित्तीय वर्ष 2020-21 की स्थिति में :-	
आय -	₹46,21,07,34,811.00
व्यय -	₹44,20,25,49,190.00
ब. वित्तीय वर्ष 2021-22 (31.12.2021) की स्थिति में	
आय -	₹88,90,65,88,211.00
व्यय -	₹81,02,12,85,100.00

24. प्रभक्षण :-

लेखा नियमों की अवहेलना तथा स्थानीय निकायों द्वारा प्रशासनिक शिथिलता के कारण प्रतिवेदनाधीन अवधि में प्रभक्षण की स्थिति निम्नानुसार थी :-

दिनांक 31.12.2021 तक अनिराकृत प्रभक्षण प्रकरणों की संख्या	प्रभक्षण प्रकरणों सन्निहित राशि ₹
2206	₹11,11,44,563.00

25. अधिभार :-

छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत, ऐसी हानियों के प्रकरण जिसमें किसी अधिकारी/कर्मचारियों की अपने कर्तव्यों के प्रति घोर अवहेलना, कदाचरण अथवा तत्परता से कर्तव्यों का पालन न करने या कर्तव्यों के प्रति उदासीनता बरतने के कारण अवैधानिक व्यय हुआ हो,

ऐसे प्रकरणों में अधिभार कार्यवाही संस्थित की जाती है। ऐसे अधिभार प्रकरणों में विभाग द्वारा कार्यवाही की स्थिति निम्नानुसार है :-

अ. वित्तीय वर्ष 2020-21 की स्थिति में :-

क	प्रकरणों का विवरण	संख्या	सन्निहित राशि ₹	निराकृत संख्या	अवशेष संख्या	अवशेष राशि ₹
1	अधिभार आरोप पत्र	19	8,58,647.00	1	18	8,18,647.00
2	अधिभार सूचना	10	2,19,506.00	0	10	2,19,506.00
3	अधिभार आदेश	35	5,27,048.00	4	31	4,60,270.00
4	मांग हेतु प्रमाण पत्र	23	1,00,157.00	0	27	1,67,235.00

ब. वित्तीय वर्ष 2021-22 की स्थिति में :-

क	प्रकरणों का विवरण	संख्या	सन्निहित राशि ₹	निराकृत संख्या	अवशेष संख्या	अवशेष राशि ₹
1	अधिभार आरोप पत्र	18	8,18,647.00	0	18	8,18,647.00
2	अधिभार सूचना	10	2,19,506.00	0	9	2,01,056.00
3	अधिभार आदेश	31	4,60,270.00	0	30	4,33,820.00
4	मांग हेतु प्रमाण पत्र	27	1,67,235.00	1	28	1,80,135.00

26. राजस्व मांग वसूली :-

विभाग द्वारा प्रतिवेदनाधीन वर्ष 2021-22 में संपरीक्षित निकायों में करों एवं शुल्कों की मांग वसूली विभिन्न संपरीक्षित वर्षों तथा संस्थाओं में उपलब्ध जानकारी अनुसार वर्ष 2020-21 में राशि ₹1,47,62,49,863.00 तथा वर्ष 2021-22 में राशि ₹74,34,77,060.00 (31.12.2021 तक) वसूली हेतु शेष थी।

27. अग्रिम :-

अ. वित्तीय वर्ष 2020-21 की स्थिति में विभिन्न अंकेक्षित निकायों में कुल राशि ₹21,32,17,320.00 का अग्रिम समायोजन/वसूली हेतु शेष रहा।

ब. वित्तीय वर्ष 2021-22 की स्थिति में विभिन्न अंकेक्षित निकायों में कुल राशि ₹20,25,428.00 समायोजन/वसूली हेतु शेष है।

वित्तीय नियमों का समुचित पालन नहीं किये जाने से अग्रिमों का समायोजन होना नहीं पाया गया।

28. ऋण :-

अ. वित्तीय वर्ष 2020-21 की स्थिति में विभिन्न अंकेक्षित निकायों में कुल राशि ₹36,91,12,408.00 का ऋण पुनर्भुगतान हेतु शेष था।

ब. वित्तीय वर्ष 2021-22 (दिनांक 01.04.2021 से 31.12.2021) विभिन्न अंकेक्षित निकायों में कुल राशि ₹3,84,73,578.00 ऋण पुनर्भुगतान हेतु शेष है।

29.. अनुदान :-

वित्तीय वर्ष 2020-21 में विभिन्न अंकेक्षित निकायों को शासन/विभिन्न संस्थाओं से विभिन्न प्रयोजनों हेतु प्राप्त अनुदान में से कुल राशि ₹11,52,73,53,519.00 अवशेष होना पाया गया। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2021-22 (दिनांक 01.04.2021 से 31.12.2021) में विभिन्न अंकेक्षित निकायों की ओर को कुल राशि ₹5,72,21,93,979.00 का अनुदान अवशेष होना पाया गया।

30. निक्षेप :-

वित्तीय वर्ष 2020-21 में विभिन्न अंकेक्षित निकायों की ओर कुल राशि ₹19,00,66,269.00 का निक्षेप वापसी योग्य पाया गया एवं वित्तीय वर्ष 2021-22 (दिनांक 01.04.2021 से 31.12.2021) में विभिन्न अंकेक्षित निकायों की ओर कुल राशि ₹ 3,12,63,97,782.00 का निक्षेप वापसी योग्य पाया गया।

भाग – दो

बजट :-

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त एवं योजना विभाग मंत्रालय रायपुर द्वारा वर्ष 2021-22 के लिये आबंटित बजट में से दिनांक 31.12.2021 तक कुल राशि ₹11.36 करोड़ व्यय हुआ है

भाग – तीन

1. निरीक्षण :-

संचालनालय के अधीन स्थानीय निकायों में पश्चातवर्ती संपरीक्षा दल के कार्यों का समय-समय पर सहायक संचालक द्वारा निरीक्षण पर्यवेक्षण किया जाता है। इसके अतिरिक्त संचालक के निर्देशन में गठित निरीक्षण दल द्वारा भी निरीक्षण किया जाता है।

2. पर्यवेक्षण :-

प्रतिवेदनाधीन वर्ष में विभिन्न स्तरीय निकायों की विभिन्न वर्षों की लेखाओं की संपरीक्षा की गई तथा जिसमें से अधिकांशतः निकायों का विभागीय अधिकारियों द्वारा पर्यवेक्षण भी किया गया।

3. अंकेक्षण के दौरान वसूली :-

स्थानीय निकायों में संपरीक्षा के दौरान पाई गई अनियमितताओं एवं त्रुटियों को प्रकाश में लाते हुए अंकेक्षण द्वारा उत्तरदायी पदाधिकारियों से कुल राशि ₹62,481.00 की वसूली की जाकर निकाय निधि में जमा कराई गई।

संचालनालय, संस्थागत वित्त, छत्तीसगढ़
इन्द्रावती भवन, ब्लॉक-ए, चतुर्थ तल, नवा रायपुर अटल नगर

भाग-1

संचालनालय के गठन का उद्देश्य :-

छत्तीसगढ़ राज्य के बैंको के माध्यम से सामाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु चलाई जा रही योजनाओं के सफल क्रियान्वयन, राज्य का वित्तीय एजेंसियों के साथ समन्वय तथा राज्य में संस्थागत वित्त का अधिकाधिक प्रवाह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संचालनालय संस्थागत वित्त की स्थापना की गई है। तदनुसार संचालनालय को निम्नांकित दायित्व सौंपे गये हैं :-

1. बैंकिंग कार्यकलापों का विस्तार तथा बैंको को विकासमूलक कार्यक्रम के संपादन में आने वाली बाधाओं/समस्याओं का निराकरण करना।
2. बैंको एवं वित्तीय संस्थाओं के योगदान से संबंधित राज्य और जिला स्तर समन्वय समितियों तथा सलाहकार समिति से जुड़े कार्य।
3. जिला एवं राज्य स्तरीय ऋण योजना, ऋण देने की प्रणाली एवं गति में सुधार संबंधित कार्य।
4. बैंकों में शासकीय जमा हेतु बैंकों के इम्पैनलमैन्ट संबंधी कार्य।
5. Public Expenditure Tracking System - Management Information System (PETS MIS) के अंतर्गत इम्पैनल बैंकों से प्राप्त शासकीय जमा के आंकड़ों का संकलन।
6. विदेशी सहायता प्राप्ति एवं तत्संबंधी परियोजनाओं का सफल क्रियान्वयन एवं अभिलेख इत्यादि का संधारण कार्य।
7. भारत सरकार, राज्य शासन, भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड द्वारा प्रवर्तित योजनाओं तथा निर्देशावली के क्रियान्वयन।
8. प्रधानमंत्री जन-धन योजना के क्रियान्वयन हेतु सहायता प्रदान करना।
9. प्रधानमंत्री की बीमा योजनाओं (प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना) के क्रियान्वयन हेतु सहायता प्रदान करना।

राज्य शासन की विकास नीतियों को मूर्त रूप देने के लिये अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने के उद्देश्य से भारत शासन के माध्यम से विदेशी सहायता भी प्राप्त की जाती है। चूंकि विदेशी सहायता की राशि भारत शासन के माध्यम से राज्य शासन की अतिरिक्त संसाधन के रूप में प्राप्त होती है, अतः संचालनालय का यह प्रयास रहा कि भारत सरकार को अधिक से अधिक विकास परियोजनाएं विदेशी सहायता हेतु प्रेषित की जाए, जिससे राज्य की विकास गति को अपेक्षा अनुसार वित्तीय समर्थन मिलता रहे। संचालनालय द्वारा ऐसी विदेशी संस्थाओं से सहायता ली जाती है, जिसका ऋण दर कम हो तथा अधिक से अधिक अनुदान प्राप्त हो।

माननीय प्रधानमंत्री द्वारा सम्पूर्ण भारत वर्ष में वित्तीय समावेशन हेतु प्रधानमंत्री जन धन योजना का शुभारंभ अगस्त 2014 को किया गया था। इस अभियान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में 157 लाख (Source-<https://pmjdy.gov.in/statewise-statistics>) से ज्यादा व्यक्तियों ने बैंकों में नये खाते खोले हैं।

वित्तीय समावेशन की अगली कड़ी में भारत सरकार ने सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मई 2015 से तीन महत्वपूर्ण योजनाओं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY), प्रधानमंत्री

सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) एवं अटल पेंशन योजना (APY) का शुभारंभ किया है। उक्त योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य समाज के प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। इन तीनों महत्वपूर्ण योजनाओं में राज्य में जून 2021 तक PMJJBY के अंतर्गत 21.10 लाख, PMSBY के अंतर्गत 72.10 लाख लोगो ने अपना पंजीकरण कराया है। अटल पेंशन योजना, जिसका मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, कामगारों एवं पेंशन विहिन व्यक्तियों को वृद्धावस्था में निश्चित पेंशन प्रदान करना है के अंतर्गत राज्य के 4.55 लाख से अधिक जनसंख्या अटल पेंशन योजना से जुड़ चुकी है। (Source-83rd SLBC Book June 2021)

अल्प बचत एवं राज्य लॉटरीज की सामान्य जानकारी

छत्तीसगढ़ राज्य में अल्प बचत योजनाओं को राज्य में बढ़ावा देना है। अल्प बचत योजनाएं निम्नलिखित हैं :-

1. किसान विकास पत्र 9 वर्ष 4 माह में राशि दुगुनी।
2. राष्ट्रीय बचत पत्र आठवां निर्गम
3. मासिक आय योजना
4. सावधि जमा योजना
5. डाकघर बचत खाता
6. पंच वर्षीय आवर्ती जमा योजना
7. वरिष्ठ नागरिक पेंशन योजना 8.7 प्रतिशत मासिक ब्याज दर
8. लोक भविष्य निधि खाता में डेढ़ लाख की वृद्धि कर दी गई, 8 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर है।

उपरोक्त योजनाओं का क्रियान्वयन एस.ए.एस. एजेंट ए.पी.के.वी.वाय एजेंटों की नियुक्ति एवं पी.पी.एफ.एजेंटों की नियुक्ति संबंधी कार्य संचालनालय की देख-रेख में जिला कलेक्टर द्वारा किया जाता है।

संचालनालय का प्रशासकीय ढाँचा-

उपरोक्त दायित्वों एवं कार्यों के संपादन एवं निर्वहन के लिये स्थापित संस्थागत वित्त संचालनालय के अधीन राज्य स्तर एवं चिन्हित स्थलों पर क्षेत्रीय अमला स्वीकृत है।

संचालनालय के अमले में निम्नलिखित सेटअप की स्वीकृति प्रदान की गई है :-

क्र.	पदनाम	वेतनमान लेवल	स्वीकृत पद
1.	संचालक	भारतीय प्रशासनिक सेवा का प्रवर श्रेणी वेतनमान	01
2.	अतिरिक्त संचालक	15	01
3.	संयुक्त संचालक	14	01
4.	प्रोग्राम आफिसर (ईएपी)	14	01
5.	सहायक संचालक	12	01
6.	प्रोग्रामर सह सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर	12	01
7.	सहायक सॉल्विडकी अधिकारी	9	01
8.	क्षेत्रीय वित्तीय समावेशन अधिकारी	9	04
9.	स्टेनोग्राफर वर्ग-2	9	01
10.	स्टेनोग्राफर वर्ग-3	7	01
11.	सहायक ग्रेड-01	7	01

12.	लेखापाल	6	01
13.	सहायक वर्ग-2	6	01
14.	डाटाएन्ट्री ऑपरेटर	6	03
15.	क्षेत्रीय सहायक (वित्तीय समावेशन)	5	02
16.	सहायक ग्रेड-3	4	03
17.	वाहन चालक	4	03
18.	भृत्य	1	03
19.	चौकीदार	कलेक्टर दर पर	01
	योग		31

वित्त विभाग के पत्र क्र. 1061/1775/2018/स्था/चार, दिनांक 20.08.2019 द्वारा डाटा एण्ट्री आपरेटर के 01 पद को समर्पित करते हुए सहायक प्रोग्रामर का 01 पद सृजन करने हेतु सहमति प्रदान की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक से प्रतिनियुक्त अधिकारी, अपर संचालक के पद पर पदस्थ हैं। प्रोग्रामर आफिसर (ईएपी), प्रोग्रामर सह सिस्टम एडमिनिस्ट्रटर, स्टेनोग्राफर वर्ग-3, भृत्य के पद संविदा नियुक्ति से भरे गये हैं।

भाग-2

बजट प्रावधान एवं व्यय

अ.

2052-सचिवालय सामान्य सेवायें
(091)-संबद्ध कार्यालय
4296-संचालनालय संस्थागत वित्त

• विभागीय उपलब्ध बजट

(आंकड़े लाख रु. में) (नवम्बर 2021 की स्थिति में)

क्रमांक	बजट शीर्ष	प्राप्त आबंटन	व्यय	शेष
01	वेतन भत्ते आदि #01	164.00	98.00	66.00
02	मजदूरी #02	3.00	1.15	1.85
03	यात्रा भत्ता #03	10.00	0.00	10.00
04	कार्यालय व्यय #04	24.35	4.64	19.71
05	प्रशिक्षण #05	1.00	0.00	1.00
06	व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां #10	10.00	0.03	09.97
07	अनुरक्षण पर व्यय एवं उपकरण #24	1.05	0.24	0.81
	योग-	213.40	104.06	109.34

ब.

2052-सचिवालय सामान्य सेवायें
(091)-संबद्ध कार्यालय
4296-संचालनालय संस्थागत वित्त
2435-अन्य कृषि कार्यक्रम

(आंकडे लाख रु. में) (नवम्बर 2021 की स्थिति में)

क्रमांक	बजट शीर्ष	प्राप्त आबंटन	व्यय	शेष
01	कृषक ऋण ब्याज दर युक्तियुक्तकरण हेतु ब्याज-0101-5628	1200.00	0.00	1200.00
02	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से लिए गए अल्पकालीन कृषि ऋण माफी योजना-0101-7973	0.01	0.00	0.01
03	लघु एवं सीमांत कृषक ऋण माफी योजना -0101-8671	0.01	0.00	0.01

स.

2052-सचिवालय सामान्य सेवायें
(091)-संबद्ध कार्यालय
4296-संचालनालय संस्थागत वित्त
7919-छत्तीसगढ़ लोक वित्त प्रबंधन परियोजना

(आंकडे लाख रु. में) (नवम्बर 2021 की स्थिति में)

क्रमांक	बजट शीर्ष	प्राप्त आबंटन	व्यय	शेष
01	यात्रा भत्ता #03	5.00	0.00	5.00
02	कार्यालय व्यय #04	501.00	0.04	500.96
03	प्रशिक्षण #05	10.00	0.00	10.00
04	व्यवसायिक सेवाओं #10 हेतु अदायगियां	305.00	59.48*	245.52

* राशि रुपये 59.48 लाख का भुगतान की स्वीकृति प्राप्त है। जिसका भुगतान किया जाना है। अतः आज दिनांक 30.12.2021 की स्थिति में कुल व्यय (अवैतनिक व्यय राशि रु. 59.48 लाख) राशि 59.52 लाख है।

द.

2052-सचिवालय सामान्य सेवायें
(091)-संबद्ध कार्यालय
7836-अल्प बचत

- विभागीय उपलब्ध बजट

(आंकडे लाख रु. में) (नवम्बर 2021 की स्थिति में)

क्रमांक	बजट शीर्ष	प्राप्त आबंटन	व्यय	शेष
01	वेतन भत्ते आदि #01	98.20	50.24	47.96
02	यात्रा भत्ता #03	0.85	0.20	0.65
03	कार्यालय व्यय #04	4.80	0.36	4.44
	योग-	103.85	50.80	53.05

भाग-3

संचालनालय के कार्यकलाप एवं गतिविधियाँ :-

1. संचालनालय के सफल प्रयास से बैंकों की कार्यक्षमता में वृद्धि हुई है। मार्च, 2021 की स्थिति में राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 1391, अर्द्धशहरी क्षेत्रों में 851 एवं शहरी क्षेत्रों में 906 कुल 3,148 बैंक शाखा कार्यरत रही है। बैंकों को साख जमा अनुपात का प्रतिशत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय बैंचमार्क 60% के विरुद्ध मार्च, 2021 में 62.84% हुआ है। राज्य में प्राथमिक क्षेत्रों में साख की दर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय बैंचमार्क 40% के विरुद्ध मार्च, 2021 में 44.87% हो गया है। कृषि ऋण (अग्रिम) कुल साख का प्रतिशत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय बैंचमार्क 18% के विरुद्ध मार्च, 2021 में 13.26% हुआ है। कृषि क्षेत्र में कुल अग्रिम मार्च 2020 में रु 13,691.48 करोड़ के विरुद्ध मार्च 2021 में 15,880.03 करोड़ हुआ है। सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्षेत्र में कुल अग्रिम मार्च, 2020 में 27.83 करोड़ के विरुद्ध मार्च 2021 में 22.36 करोड़ हुआ है, कमजोर क्षेत्र को अग्रिम का कुल साख का प्रतिशत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय बैंचमार्क 10% के विरुद्ध मार्च 2021 में 9.71% हुआ है। (Source-82nd SLBC Book March 2021)
2. अग्रणी बैंक योजना के अंतर्गत प्रदेश के 28 जिले विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों को आबंटित किए गए हैं। अग्रणी बैंक का प्रमुख उत्तरदायित्व जिले की साख योजनाओं को तैयार कर कार्यान्वित करना एवं बैंक तथा जिला प्रशासन के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित करना है। जिला स्तर पर साख संबंधी योजना तैयार करने का कार्य को सुगम बनाने के लिये राज्य स्तर पर विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन करने वाली शासकीय विभागों के साथ समन्वय कर आगामी वर्ष की साख योजना के लिये दस्तावेज तैयार करने का प्रयास किया जाता है। शासन प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत लक्ष्य प्राप्ति हेतु बैंकों के साथ अनुश्रवण कर वित्त पोषण सुनिश्चित किया जाता है।
3. बैंक वसूली प्रोत्साहन योजना प्रकोष्ठ (ब्रिस्क) का क्रियान्वयन :- शासन प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत व्यावसायिक बैंको एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको द्वारा प्रदत्त ऋणों के अतिदेय राशियों की वसूली हेतु सहायता करने में राज्य शासन भरसक प्रयत्नशील है। इस दिशा में राज्य शासन वसूली हेतु अपने प्रशासनिक तंत्र (राजस्व अमला) की सुविधा उपलब्ध कराती हैं। ब्रिस्क योजना के अंतर्गत पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश राज्य से छत्तीसगढ़ राज्य को रु. 12,83,629.00 बंटवारे में प्राप्त हुए। छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद से नवम्बर 2021 की स्थिति में ब्रिस्क खाते में रु. 28.51 लाख जमा है।
4. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (DBT) सेल :- राज्य में हितग्राहियों को लाभ पहुंचाने हेतु संचालित विभिन्न योजनाओं को end to end digitization (EED) मार्च 2022 तक करने हेतु विभाग में DBT Cell का गठन किया गया है। यह Cell DBT मिशन, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित कर योजनाओं को EED करने हेतु अपना योगदान दे रहा है साथ ही DBT भारत पोर्टल पर इन योजनाओं से संबंधित जानकारी अंकित करने का कार्य सम्पादित कर रहा है।
5. वर्ल्ड बैंक सहायित Chhattisgarh Public Financial Management and Accountability Programme (CGPFMAP) के अंतर्गत राज्य में वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को सुदृढ़ बनाने हेतु कार्य चल रहा है। इस प्रोजेक्ट के सफल क्रियान्वयन हेतु इस कार्यालय को नोडल विभाग नियुक्त किया गया है। अतएव कार्यालय द्वारा वर्ल्ड बैंक एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है। विभाग द्वारा इस हेतु Project Management Consultant के रूप में KPMG संस्था का चयन किया गया है। साथ ही किये गये कार्यों के सत्यापन हेतु AMS Lucknow को Independent Verification Agency के रूप में नियुक्त किया गया है।

संचालनालय, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, छत्तीसगढ़
महानदी भवन, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर

संचालनालय, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, छत्तीसगढ़ कार्यालय का गठन छत्तीसगढ़ राज्य में दिनांक 13 अगस्त, 2001 को किया गया था। वित्त विभाग के अंतर्गत गठित इस कार्यालय द्वारा राज्य शासन के वित्तीय प्रबंध एवं वित्तीय नियंत्रण से संबंधित सभी कार्य संपादित किये जाते हैं।

वर्ष 2021-22 में कार्यालय की गतिविधियां :-

प्रथम अनुपूरक अनुमान एवं द्वितीय अनुपूरक अनुमान वर्ष 2021-22 संकलित कर निर्धारित प्रारूप में तैयार किया गया तथा वर्ष 2022-23 का मुख्य बजट अनुमान का संकलन कार्य प्रगति पर है।

संगठनात्मक ढांचा :-

संचालनालय हेतु निम्नलिखित पद संरचना की स्वीकृति प्रदान की गई है :-

क्र.	पद	श्रेणी / संवर्ग	पद संख्या	वेतन लेबल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	संचालक	भारतीय प्रशासनिक सेवा	पदेन	—
2.	अपर संचालक, वित्त	प्रथम श्रेणी	01	15
3.	संयुक्त संचालक, वित्त	प्रथम श्रेणी	01	14
4.	उप संचालक, वित्त	प्रथम श्रेणी	01	13
5.	सांख्यिकी अधिकारी	द्वितीय श्रेणी	01	12
6.	प्रोग्रामर	द्वितीय श्रेणी	01	12
7.	सहायक लेखा अधिकारी	तृतीय श्रेणी	02	9
8.	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	तृतीय श्रेणी	01	9
9.	सहायक प्रोग्रामर	तृतीय श्रेणी	01	9
10.	डाटा एन्ट्री आपरेटर	तृतीय श्रेणी	04	6
11.	स्टेनोग्राफर अंग्रेजी	तृतीय श्रेणी	01	7
12.	स्टेनोग्राफर हिन्दी	तृतीय श्रेणी	01	7
13.	सहायक ग्रेड-02	तृतीय श्रेणी	01	6
14.	सहायक ग्रेड-03	तृतीय श्रेणी	03	4
15.	वाहन चालक	तृतीय श्रेणी	04	4
16.	भृत्य	चतुर्थ श्रेणी	03	1

बजट आबंटन तथा व्यय (वित्तीय वर्ष 2021-22)

31 दिसंबर, 2021 की स्थिति में

(राशि रुपये में)

क्रमांक	मुख्य शीर्ष	योजना क्रमांक	योजना का नाम	बजट आबंटन	वास्तविक व्यय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	2052	4295	संचालनालय, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली	1,44,94,000	93,27,449
2	4070	4295	संचालनालय, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली	9,80,000	0
योग				1,54,74,000	93,27,449

(शीर्ष 06-2052-00-091-0000-4295-01-020 त्यौहार अग्रिम, 021 त्यौहार अग्रिम वापसियां, 022 अनाज अग्रिम, 023 अनाज अग्रिम वापसियां, वास्तविक व्यय में शामिल नहीं किया गया है।)

- ❖ सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत वर्ष 2021 में प्राप्त प्रकरणों के क्रियान्वयन की जानकारी

प्राप्त आवेदन पत्र	निराकृत	अस्वीकृत
(1)	(2)	(3)
_____	_____ निरंक _____	_____